



GOVERNMENT DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE SCIENCE & COMMERCE COLLEGE

Sector-H, Rajharsh Colony, Kolar, Bhopal (M.P.)- 462042

Affiliated to Barkatullah University, Bhopal (M.P.)

Contact No: - 0755-2551837, Email-ID: - hegbsccbho@mp.gov.in

Website: - <http://gscbhopal.in>



LIST OF FULL TIME TEACHERS :- 2021-22

Sno	Name of the Department	Name of the Full-time teacher	Designation	Gender	Year of appointment	Highest Qualification	Nature of appointment (Against Sanctioned post, temporary, permanent)	Total years of Experience in the same institution	Saction Post
1	BOTANY	DR. KIRTI JAIN	PROFESSOR	F	6/15/1987	Ph.D	PERMANENT	10	8
2		DR. ARUNA JAIN	PROFESSOR	F	12/14/1987	Ph.D	PERMANENT	4	
3		DR. ASHA SHARMA	PROFESSOR	F	4/23/1985	Ph.D	PERMANENT	1	
4		DR. SARVADAMAN SINGH	PROFESSOR	M	10/7/1993	Ph.D	PERMANENT	1	
5		DR. RAFAT FATMA	ASSISTANT PROFESSOR	F	6/15/1987	M.Sc.	PERMANENT	10	
6		DR. SARLA PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	F	2/16/2009	Ph.D	PERMANENT	11	
7		DR. DEVENDRA SINGH PATEL	ASSISTANT PROFESSOR	M	4/14/2012	Ph.D	PERMANENT	4	
8	ZOOLOGY	DR. SANJAY TELANG	PROFESSOR	M	3/4/1987	Ph.D	PERMANENT	24	9
9		DR. KALPANA DAVE	PROFESSOR	F	9/22/1983	Ph.D	PERMANENT	1	
10		DR. KAUSHAL KUMAR MISHRA	PROFESSOR	M	10/9/1993	Ph.D	PERMANENT	3	
11		DR. SHAHINA PARVEEN	PROFESSOR	F	10/8/1993	Ph.D	PERMANENT	4	
12		DR. DEEPTI VAISH	ASSOCIATE PROFESSOR	F	9/25/1993	Ph.D	PERMANENT	2	
13		DR. INTEKHAB ALAM DURRANI	ASSOCIATE PROFESSOR	M	6/22/1987	Ph.D	PERMANENT	2	
14		DR. MUKESH KUMAR NAPIT	ASSISTANT PROFESSOR	M	6/26/2009	Ph.D	PERMANENT	4	
15		DR. HEMLATA VERMA	ASSISTANT PROFESSOR	F	7/1/2005	Ph.D	PERMANENT	4	
16		DR. MAHIRA PARVEEN	PROFESSOR [DIR.]	F	7/21/2011	Ph.D	PERMANENT	1	
17	CHEMISTRY	DR. SUDHANSHU DHAR DWIVEDI	PROFESSOR	M	6/15/1987	Ph.D	PERMANENT	9	5
18		DR. ASHA VERMA	PROFESSOR	F	5/14/1987	Ph.D	PERMANENT	18	
19		DR. ILA JAIN	PROFESSOR	F	10/14/1993	Ph.D	PERMANENT	4	
20		DR. NEETU PRIYA LACHORIA	ASSISTANT PROFESSOR	F	9/12/2005	Ph.D	PERMANENT	11	
21		DR. SMITA VERMA	ASSISTANT PROFESSOR	F	9/12/2005	Ph.D	PERMANENT	3	

22	PHYSICS	DR. RAGINI TIWARI	PROFESSOR	F	8/24/1982	Ph.D	PERMANENT	23	4
23		DR. DHARMESH KUMAR KHARE	PROFESSOR	M	12/14/1987	Ph.D	PERMANENT	1	
24		DR. MAMTA PANDEY	PROFESSOR	F	12/24/1998	Ph.D	PERMANENT	6	
25		DR. HARSHA JALORI	PROFESSOR	F	10/16/1993	Ph.D	PERMANENT	6	
26	MATHEMATICS	DR. RAJESH SHRIVASTAVA	PROFESSOR	M	6/3/1990	Ph.D	PERMANENT	6	5
27		DR. NAVAL SINGH	PROFESSOR	M	7/7/1994	Ph.D	PERMANENT	24	
28		DR. ANITA MANDLOI	ASSOCIATE PROFESSOR	F	10/7/1993	Ph.D	PERMANENT	6	
29		DR. SANDEEP KUMAR MALHOTRA	ASSOCIATE PROFESSOR	M	1/2/1997	Ph.D	PERMANENT	6	
30		DR. JYOTI PANTHI	ASSISTANT PROFESSOR	F	12/7/2004	Ph.D	PERMANENT	3	
31	COMMERCE	DR. MUNISH KUMAR GUPTA	PROFESSOR	M	3/4/1987	Ph.D	PERMANENT	16	4
32		DR. GANESH PRASAD YADAV	PROFESSOR	M	6/15/1987	Ph.D	PERMANENT	5	
33		DR. ASAD ALI	PROFESSOR	M	12/24/1998	Ph.D	PERMANENT	17	
34		DR. SHIVALI DELWAR (SHAKYA)	ASSISTANT PROFESSOR	F	9/28/2011	Ph.D	PERMANENT	10	
35	HINDI	DR. MEENU CHATURVEDI	PROFESSOR	F	11/8/1989	Ph.D	PERMANENT	13	2
36		DR. SANGEETA GUPTA	PROFESSOR	F	3/4/1987	Ph.D	PERMANENT	4	
37	ENGLISH	DR. PRAGYA RAWAT	ASSOCIATE PROFESSOR	F	3/4/1989	Ph.D	PERMANENT	13	2
38		DR. ASHA WADHWANI	ASSISTANT PROFESSOR	F	4/5/1994	M.A.	PERMANENT	4	
39	SOCIOLOGY	DR. MADHVI LATA DUBEY	PROFESSOR [DIR.]	F	12/28/1994	Ph.D	PERMANENT	4	3
40		DR. HARNEET CHIMA	ASSOCIATE PROFESSOR	F	6/26/1999	Ph.D	PERMANENT	4	
41		DR. NEELIMA JHA (CHATTERJE)	ASSISTANT PROFESSOR	F	3/4/1987	M.Phil	PERMANENT	2	
42	POLITICAL SCIENCE	DR. VISHNU PAL SINGH GAUR	PROFESSOR	M	12/22/1994	Ph.D	PERMANENT	3	1
43		DR. MEENAKSHI TANDEKAR SHROTI	ASSISTANT PROFESSOR	F	1/4/2003	Ph.D	PERMANENT	4	
44	GEOGRAPHY	DR. POONAM WASNIK	ASSISTANT PROFESSOR	F	6/30/2009	Ph.D	PERMANENT	1	1
45	HISTORY	DR. MADHUSUDAN PRAKASH	ASSISTANT PROFESSOR	M	7/5/2005	Ph.D	PERMANENT	3	3
46		DR. EKTA ARMO	ASSISTANT PROFESSOR	F	7/11/2005	Ph.D	PERMANENT	3	
47		DR. PUSHPADEVI SAHU	ASSISTANT PROFESSOR	F	12/18/2019	M.A.	PERMANENT	2	
48	HOME SCIENCE	DR. MEENAKSHI SAXENA	PROFESSOR	F	3/4/1987	Ph.D	PERMANENT	1	4
49		DR. BHARTI GOSWAMI	ASSISTANT PROFESSOR	F	12/7/2019	M.Sc. Home Science	PERMANENT	3	
50		DR. NISHA YADAV	ASSISTANT PROFESSOR	F	12/17/2019	M.Sc. Home Science	PERMANENT	3	
51		DR. RUCHI SONI	ASSISTANT PROFESSOR	F	12/19/2019	Ph.D	PERMANENT	3	

52	COMPUTER SCIENCE	SHRI VIPIN KUMAR	GUEST FACULTY JANBHAGIDARI	M	2021	M.Sc.	TEMPORARY	8	1
53	COMPUTER APPLICATION	SMT. VIBHA SHRIVASTAVA	GUEST FACULTY JANBHAGIDARI	F	2021	MCA	TEMPORARY	7	1
54	BIOTECHNOLOGY	MISS NEHA SHARMA	GUEST FACULTY JANBHAGIDARI	F	2021	M.Sc.	TEMPORARY	7	1
55	BOTANY	DR. SUSHMA SISODIYA	GUEST FACULTY HIGHER EDUCATION	F	2021	Ph.D	TEMPORARY	3	1
56	ECONOMICS	DR. PREETI SHRIVASATAV	GUEST FACULTY HIGHER EDUCATION	F	1/11/2022	Ph.D	TEMPORARY	1	1


 Principal
 Govt. Dr. Shyama Prasad
 Mukherjee Science & Commerce
 P.G. College BHOPAL (M.P.)



GOVERNMENT DR. SHYAMA PRASAD MUKHERJEE SCIENCE & COMMERCE COLLEGE

Sector-H, Rajharsh Colony, Kolar, Bhopal (M.P.)- 462042

Affiliated to Barkatullah University, Bhopal (M.P.)

Contact No: - 0755-2551837, Email-ID: - hegbsccbho@mp.gov.in

Website: - <http://gscbhopal.in>



FULL TIME TEACHERS/GUEST FACULTY (HIGHER EDUCATION) SANCTION AND WORKING POST DETAILS

ACCORDING TO DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION MIS PORTAL

← → ↻ Not secure | 103.94.204.46:8090/GazPostDetailWorkLoad.aspx

Gmail YouTube Maps Convert PDF to JPG... NAAC - Revised dat... Quiz - Drishti IAS NCERT Solutions Cl... NCERT Solutions fo... NCERT Solutions

BUSINESS STATISTICS
CHEMISTRY
CHEMISTRY ORGANIC
CHEMISTRY PHYSICAL
COMMERCE
COMPUTER APPLICATION
COMPUTER APPLICATION
COMPUTER SCIENCE
CRIMINOLOGY
DANCE
DHARMSHAstra
DIRECTOR
DRAWING & PAINTING

Previous Sanctioned के पदों में विसंगति होने पर वर्तमान में वास्तविक स्वीकृत (Actual Sanction) पद एवं शासन स्तर से स्वीकृत आदेश का क्रमांक एवं दिनांक एवं टिप्पणी में कारण सहित दर्ज कर Save करे

Sanction Let.No./Date	<input type="text"/>
Actual Professor Sanction :	<input type="text" value="1"/>
Actual Ast.Professor Sanction :	<input type="text" value="7"/>

Remark

New Entry.....

Save Back


Logout

पदों में विसंगति है

पदों में विसंगति नहीं है

Sanction Previous and Revised Updated from College Level Post of Gazetted

ID No	Subject	Prin./Prof./ Libr/Spor./Reg.	Asst.Professor	Total Sanc.	Rev.Sanc.Prof	Rev.Sanc.Astt.Prof.	Rev.Tot.Sanc.	Rev.Sanc.Let.No.	Remark	Update Date
3281	BOTANY	1	7	8	1	7	8			
3282	CHEMISTRY	1	4	5	0	5	5		ok	1/28/2022 2:04:20 PM
3283	COMMERCE	0	4	4	0	4	4			
6017	ECONOMICS	0	1	1	0	1	1			
3284	ENGLISH	0	2	2	0	2	2			
6018	GEOGRAPHY	0	1	1	0	1	1			
3285	HINDI	0	2	2	0	2	2			
6015	HISTORY	0	3	3	0	3	3			
6019	HOME SCIENCE	0	4	4	0	4	4			
3286	LIBRARIAN	1	0	1	1	0	1			
3287	MATHEMATICS	0	5	5	0	5	5			
3288	PHYSICS	0	4	4	0	4	4			
6016	POLITICAL SCIENCE	0	1	1	0	1	1			
3289	PRINCIPAL	1	0	1	1	0	1			
6008	SOCIOLOGY	0	3	3	0	3	3			
3290	SPORTS OFFICER	1	0	1	1	0	1			
3291	ZOOLOGY	1	8	9	1	8	9			


Principal
Govt. Dr. Shyama Prasad
Mukherjee Science & Commerce
P.G. College BHOPAL (M.P.)

Govt Dr Shyama Prasad Mukharjee Science and Commerce College,Bhopal [2807]


महाविद्यालय में अतिथि विद्वान की जानकारी 2023-24

Gazetted New 450 Post Sanctioned Status 2021-22

[Back](#)

Information of Sanction New 450 Post Sanctioned Status 2021-22 [As per Govt.Ord.No : F 21-7/2019/38-2 Date : 08.07.2021]

SNo.	Subject	Prof / Lib / Spor / Regi	Asst.Prof	New 450 Post	Total
1	BOTANY	1	7	0	8
2	CHEMISTRY	1	4	0	5
3	COMMERCE	0	4	0	4
4	ECONOMICS	0	1	0	1
5	ENGLISH	0	2	0	2
6	GEOGRAPHY	0	1	0	1
7	HINDI	0	2	0	2
8	HISTORY	0	3	0	3
9	HOME SCIENCE	0	4	0	4
10	LIBRARIAN	1	0	0	1
11	MATHEMATICS	0	5	0	5
12	PHYSICS	0	4	0	4
13	POLITICAL SCIENCE	0	1	0	1
14	PRINCIPAL	1	0	0	1
15	SOCIOLOGY	0	3	0	3
16	SPORTS OFFICER	1	0	0	1
17	ZOOLOGY	1	8	0	9


Principal
Govt. Dr. Shyama Prasad
Mukherjee Science & Commerce
P.G. College BHOPAL (M.P.)

Govt Dr Shyama Prasad Mukharjee Science and Commerce College,Bhopal [2807]

Fallen-out Status of Guest Faculty

Fallen-out Status of Guest Faculty

Back

SNo	Appl.ID	Name of Applicant	FName	Subject	Cat	Joining Date	Relieving Date	Marks Breakup	Remark	Status
01	506539	SUSHMA SISODIA	Yashwant Singh Sisodia	BOTANY	UR	01/07/2021	30/06/2022	C2 : [8.75 + (0.00 + 0.00) + 20 = 28.75]	Re joining	Re-Joining 2022
02	110559	PRITI SRIVASTAVA	Vishal Srivastava	ECONOMICS	UR	11/01/2022	30/06/2022	C2 : [7.00 + (0.00 + 0.00) + 20 = 27.00]	Joined against vacant post after retirement regular professor	Re-Joining 2022
03	515733	LALIT KISHORI TIWARI	Ajay Tiwari	GEOGRAPHY	UR	01/07/2021	05/07/2021	C2 : [17.60 + (0.00 + 0.00) + 20 = 37.60]	permanent faculty joined this post	Fallen-out

Principal
Govt. Dr. Shyama Prasad
Mukherjee Science & Commerce
P.G. College BHOPAL (M.P.)

1 2

3

4

- 7- श्री चहीरके शर्मा
पोपितौर बाया चापा शाओमहाओजगपुर नगर
जिला-जिलासपुर जिला-रायगढ
- 8- श्री रेओमनओसिंह
गुरुद्वारा के पास शाओमहाओवालीद
गोदपारा जिलासपुर जिला-दुर्ग
- 9- श्री एओकेओदुवे
सदर बाजार जिलासपुर शाओमहाओबापाँ, जिलासपुर
- 10- श्री चहीरकेओजैन
वी।डी., विक्रमादित्य शाओमहाओबातेगाव, जिओउज्जैन
क्लाथ मार्केट फजलपुरा
दियम-पानी, उज्जैन
- 11- श्रीमती संख्या जैन
129 रुंगारो कालोनी शाओमहाओबातेगाव, जिओउज्जैन
देवात
- 12- श्री एसओकेओत्रिवेदी
मोहता प्लाट स्टेट बैंक शासकीय महाओकटनी, जिला
के पीठे, धिपरिया, जिला- जवलपुर
होंशंगाबाद
- 13- श्री आओक निगम
द्वारा- श्री ड'ओकेओसिंह शाओमहाओ, भिलाई-3,
सोरंकी, व्याख्याता, ती.डी. जिला-दुर्ग
शासकीय पोलीओ, दुर्ग
- 14- श्री एओकेओश्रीवास्तव
पटेल बाई नंओ 15 पोओ शाओमहाओ, रामटोला,
डोंगरगढ, जिओराजनांदगांव जिला-राजनांदगांव
- 15- श्री आसद अली
जी-14, महादेव अपार्टमेंट शाओमहाओचरेली, जिओ रायकोन,
पोर्ड आफिंत के पीठे, भोपाल
- 16- श्री अरविन्द कुमार
शाओबाओहारी, रेलवे तिराहा शाओमहाओपुष्पराजगढ, जि. शहडोल
के पास, जिओ शहडोल
- 17- श्री आरओकेओराणा
एफ. 1 गार बंगला रोड, शासकीओ महाओरायकोन
सिविल लाइन्स, भोपाल
- 18- श्री तरुण अग्रवाल
5 संत तुकाराम पथ, इंदौर, शाओमहाओ, सोनकच्छ, देवात,
जिला उज्जैन - 456771
- 19- श्री दिनेश अग्रवाल
केओ : राजापारा, रायगढ-496001 शासकीयोमहाओछ भैतामा,
जिला- जिलासपुर
- 20- श्री संजय अग्रवाल
477 भोपाल मार्ग, गहू शाओमहाओ, जोवट,
जिला-झाबुआ
- 21- श्री एस. एस. शर्मा
404, 1-... एनेकी, इन्दौर - 452001 शासकीय महाओ, सागर

डॉ. असद अली

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 8/11/1979.

- क्रमांक 3679/3259/38-1/99. संलग्न परिशिष्ट में अंकित विषय/विषयों के प्रत्याशियों की मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा अधिनियम में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक स्लैब 2200-75-2800-100-4000 के यूजीसी 10 वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनों से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्ति किया जा है, तथा उनका पदार्कन उनके नाम के साथ अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।
- 2- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का ~~नियुक्ति~~ अथवा उतके स में एक माह का वेतन दिया जा कर समाप्त की जा सकती है।
 - 3- आपाती तौर पर नियुक्ति सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही म.प्र. लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्ति सहायक प्राध्यापक का नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
 - 4- नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में सहायक कार्यभार ग्रहण करना है।
 - 5- नियुक्त प्रत्याशी द्वारा कोई जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।
 - 6- नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
 - 7- पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता से यदि कहीं सेवा में है, तो द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
मथा आदेशानुसार

॥ शा. के. मासुर ॥ 8-11
अध. सचिव

- | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-----------------------------------|--|--|
| 36- | श्री जे०सी० रामभगत ॥ अ. न. जा ॥ | ग्राम परगाढीगरटोली, शास० महावि. रायगढ़, जिला.
पो० जरिया टेट, रायपुर- राजनांदगांव
-नगर. ॥ रायगढ़ ॥-49633। | |
| 37- | श्री जी० एस० कुरचेती ॥ अ. न. जा ॥ | 124/1 टैगौर होस्टल, शासकीय महाविद्यालय, रायपुर
यू०बी०डी, सागर वि. वि.
सागर-450003 | |
| 38- | श्री विजय बाघ ॥ अ. न. जा ॥ | रेलवे कालोनी घंगला पारा वडा० नं० 43/2,
रायगढ़- 49600। | शासकीय महावि. रायपुर नैर्द्वी, जिला सीधी |
| 39- | श्री एस. पी. सिंह | सं. 34, बर्मी नगर, जिला,
जबलपुर-480056 | शासकीय महावि. भुआ विधिया,
जिला मण्डला |
| 40- | श्री आर० एस० पैकरा | गा० व पो० मिश्रु नवागांव, शास० महावि. नगर तिहावा,
वहाया- क्लिषना,
जिला बिलासपुर | जिला रायपुर. |

अवर सचिव 3-11-89.
मोपू शासन, उच्च शिक्षा विभाग

6/ इन अधिकारियोंके सेवा संबंधी तुरंत शासकीय कार्यों को चलाने में लागू सामान्य नियमों, मध्यप्रदेश विधि सेवा विभाग की सामान्य शर्तों नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश वैधानिक सेवा विभाग द्वारा जारी किए गए नियम 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

7/ सदस्यारो मंगल हेतु समय आगु एवं वैधानिक गौरवका संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, एवं साथ साथ प्रतियां मेलनाहित करना होगा। संपादन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जाएगा।

8/ यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी है, तथा बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/मल्ले देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार 3-जारी द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/मल्ले जमाकराकर सेवा से समाप्त-पत्र दिया जा सकेगा।

9/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 09 अक्टूबर, 93 तक पदस्थापना पर कामभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति तद्विना निरस्त माना जाएगा। शासकीय अशासकीय विभागों/विभागीय में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोजता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदिमानुसार,

[Signature]
16-6-93
§ हीरालाल निदेशी §
उप सचिव,

मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 16 जून, 93

पृष्ठ सं. एफ-1/144/93/ए-1/30

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनायें।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
3. महासंचालक, मध्यप्रदेश स्वातिपर।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. संबंधित प्राचार्य, आठ महठो मध्यप्रदेश।
6. संबंधित विभाग।

[Signature]
उप सचिव,

मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

नामांक/.....

Attested True copy.

[Signature]
Dr. Collector, 1993
for Collector, Seoni.

मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 16 दिसंबर, 93

क्रमांक एन-1/144/93/ए-1/38 का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को का. उ. प्राध्यापक पद के पद पर वेतनमान 802200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थापी रूप से उनके कार्यालय स्थान करने के दिनांक में नियुक्त किया जाता है:-
नाम एवं वेतनमान पता
महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है।

1. 2. 3.

- 5 श्री उदय डोलत
द्वारा-फ्लेट क्रमांक 31 एम०आई०जी
मनोधा मार्केट शाहपुरा भोपाल
शा०हा०तिरोज विदिशा ।
- 8 श्री मनोज कुमार मिश्रा
द्वारा-शा०वातक०उ०शा०वि०वडुवाह
जिला बरगोन ।
शा०स्नातकोत्तर महा० ब्राह्मण ।
- 12 कु० आराधना शर्मा
आपाती महा०रा०
द्वारा-डा० पी०ती०शर्मा 35/ए
विषा नगर दिलासपुर ।
शा०विज्ञान महा० दिलासपुर ।
- 16 श्री गिरिराज किशोर साहू
इयाम किराना स्टार्स 717 पुष्पागड़ा
जवलपुर ।
शा०स्नातकोत्तर महा० सिवनी ।
- 20 डॉ० राघोबेन्द्र सिंह चन्देल
आपाती महा०क प्राध्यापक
ए-35 हाउसिंग वार्ड कालीनो कोहे-
फिजा भोपाल ।
शा०विज्ञान/वाणिज्य महा० मेमलीर
भोपाल ।
- 25 श्री ओंकार लाल श्रीवास्तव
मीता कुंज परासिया रोड़ छिंदवाड़ा ।
शा०जुन्नारदेव छिंदवाड़ा ।
- 27 कु० लतीफ खोरसागर
आपाती महा०क प्राध्यापक
के-7 एम०आई०जी विनगर बरगोन ।
शा०आलिदास कन्या महा०उज्जैन ।
- 34 श्री दिनेश कुमार मिश्रा
द्वारा-श्री डी०के०मिश्रा गुरुद्वारा
शा०उ०शा०द्वि०शादीरा जिला गुना ।
शा०हा०निवाड़ी ।
- 35 कु० अनिता शर्मा
तो-1,3 रेडिपो कालीनो इंदौर
शा०महा०देवोरा जिलासुर ।
- 36 श्रीमती उषा रानो
110 टाईप -3 बी-सेक्टर पिपलानी
वा०एच०ई०एल भोपाल ।
शा०स्नातकोत्तर महा० तिहोर ।

1	2	3	4	5
7-	डा० विमल कुमार लालनगी § 1-1-61 § द्वारा-श्री के०सी लालनगी, रेल्वे गार्ड, 131/3, रेलवे कोठी काठोरी, पोस्ट-रायपुर गंज, रायपुर	पी-स्व०डी०	791 1000	शा०महा० विद्यालय काठोरी
8-	श्रीमती डा०रम्या प्रीवत्ता § 21/6/56 § 121 ए/48, विजयी नगर, भोपाल	पी-स्व०डी०	699 1000	शा०महा० विद्यालय इन्दौर
9-	श्रीमती डा०रा/गनी गुप्ता § 6-6-60 § 53, आदित्यापुरा, इन्दौर	पी-स्व०डी०	837 1200	शा०महा० विद्यालय मनावर
10-	शुश्री राशिम शंकरनाथ § 16-10-61 § द्वारा-श्रीमती स्म०शरनाथ, सिटी पोस्ट आम्बिका के पास, रीवा	स्वामिन्	832 1200	शा०महा० विद्यालय मउमंज
11-	ड० अनामिका शर्मा § 26/1/63 § 345, पूर्वी धमापुर, जबलपुर	स्वामिन्	693 1300	शा०महा० विद्यालय दमोह
12-	डा०कुमारी अरुणा जैन § 29-9-50 § रुम-373, न्यू सुभाष नगर, भोपाल	पी-स्व०डी०	692 1000	शा०महा० विद्यालय सिरोज

अनुसूचित जाति के प्रत्याशी

13-	श्री अशोक कुमार भारती § 4-3-67 § द्वारा- श्री राम गोपाल ग्राम-सिद्धबेड़ा, पोस्ट-जट मील, रायगढ़ (सिद्ध मुंडा)	स्व०रत०ती०पुथम वी०रत०ती०व्दतीय	730 1200	शा०महा० विद्यालय, सीधी
14-	श्री हिरनवान महार § 10-6-63 § द्वारा- प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, मिरमीरी, पोस्ट-सोनावानी तरगुवा	स्व०रत०ती०व्दतीय वी०रत०ती०	669 1200	शा०महा० विद्यालय, नेमानगर

Handwritten signature

! आर्डे एम० एम० गोज !
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

// 3 //

परिशिष्ट में अंकित जानकारी का मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन करने के पश्चात ही प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करायें। आयु सीमा एवं वैवाहिक अर्हताओं को जाँच कर लें। यदि परिशिष्ट में दी गई जानकारी एवं मूल प्रमाण पत्रों में कोई भिन्नता हों तो प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराना है। इसकी सूचना उपरोक्त संज्ञिका में अंकित अधिकारी को तत्काल भेजें।

(Handwritten Signature)

। अर्ज. एच. एन. गोल।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
// आदेश //



मो. सं. 14 दि. 12. 07

प्रमाणित /एक-1/147/07/ए-1/30 परिशिष्ट में उल्लिखित प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (उच्च शिक्षा) विभाग के महाशुल्क प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन्न एवं से आचार्य आदेश तः स्. 700-50-1100-50-1500 अटैचमेंट-50-1600 के प्रवृत्तियों के अनुसार उनको कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पंदाफन उनके नाम के समक्ष उल्लिखित महाविद्यालय में किया जाता है।

2. यह नियुक्ति किली भी ओर से एक माह का नोटिस अध्याय उसके स्वयं से एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3. आपाती तौर पर नियुक्त महाशुल्क प्राध्यापक को नियुक्ति के दिनांक से पूर्व अर्थात् आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस ब्यक्ति सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त महाशुल्क प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जाएगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4. नियुक्त प्रत्याशियों यदि अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय से दिनांक 25-12-07 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी और उनके स्थान पर दूसरे प्रत्याशियों को नियुक्त किया जा सकेगा।

5. नियुक्त प्रत्याशियों को एच.डी./एम.ओ.फिल, स्नातकोत्तर, स्नातक, हायर सेकेंड्री के मूल प्रमाण पत्रों/अंक सूचियों एवं मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अध्यापन अनुभव के मूल प्रमाण पत्र संबंधित प्राचार्य से सत्यापित करायेंगे।

अनुसूचित जाति/जनजाति तथा- विकलांग प्रत्याशियों अपने मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे।

6. जिला शिक्षा सहायक का स्वास्थय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली
 क्रमांक - 1823 -/सा/सा/85
 पन्ना, दिनांक 23/4/85

महोदयजीन सेवा संस्थान के पत्र क्रमांक 376/सीओसीओ-3/85 दिनांक 13/3/85 तथा संघीय तर्ह व्यापक चयन समिति के पत्र क्रमांक/सीओसीओ/सा/सा/444/85 तारख, दिनांक 19/4/85 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों की निष्पत्ति उनके नाम के खाने खासि तर्ह शर्तों पर वेतन 700-1600 के निर्धारित न्यूनतम वेतन 20 700/- प्रतिमाह के निर्धारित वेतन पर उनके वर्गक्रम प्रदान करने की तिथि से 30/4/85 तक के दिनों की जाती है। इसकी पुष्टिपूर्वक ही यह निष्पत्ति प्रकाशित होगी। यह निष्पत्ति पूर्णतः अन्तिम है।

क्रमांक	नाम	पद
1-	श्रीमती श्री. लक्ष्मी देवी	तर्ह व्यापक चयन समिति (सीओसीओपर)
2-	श्री. रमेश चन्द्र शिंदे राठौर	तर्ह व्यापक चयन, दिल्ली

80/
 (संस्थाध्यक्ष) प्राचार्य
 राष्ट्रीय सेवा संस्थान, दिल्ली

क्रमांक - 1982 -/सा/सा/85
 पन्ना, दिनांक 23/4/85

- 1- श्री. रमेश चन्द्र शिंदे राठौर, निम्नलिखित शर्तों के दिनांक 30/4/85 के पूर्व अविचर्य रूप से कार्य कर रहे हैं।
- 2- श्री. रमेश चन्द्र शिंदे राठौर, निम्नलिखित शर्तों के दिनांक 30/4/85 के पूर्व अविचर्य रूप से कार्य कर रहे हैं।
- 3- निम्नलिखित शर्तों-3, महोदयजीन सेवा संस्थान, सतलुजा चयन, पन्ना, दिनांक 13/3/85 तक संघीय तर्ह व्यापक चयन समिति, खार के पत्र के तर्ह में इस क्रम के खाने खासि कि महोदयजीन सेवा संस्थान में अन्वयन कार्य समाप्त है, ऐसे परिस्थिति में उपरोक्त निष्पत्तियों की पुष्टि करते हुए अन्वयन निर्दिष्ट करने की कृपा करें।
- 4- संघीय, संघीय तर्ह व्यापक चयन समिति, खार संस्थान, पन्ना महोदयजीन सेवा संस्थान, खार, पन्ना की ओर उनके पत्र क्रमांक सीओसीओ/सा/सा/327/85 दिनांक 15/2/85 तथा क्रमांक - सीओसीओ/सा/सा/444/85 दिनांक 19/4/85 के तर्ह में अविचर्य।
- 5- पन्ना, दिनांक, पन्ना, पन्ना
- 6- महोदयजीन सेवा संस्थान

A. G. Singh
 (संस्थाध्यक्ष) प्राचार्य
 राष्ट्रीय सेवा संस्थान, दिल्ली

// परिशिष्ट //

विधाय- हताधनशास्त्र

सं०	नाम एवं पता	जन्मतिथि	महाविद्यालय का नाम जहाँ पढ़ाई किया जाता है।	हा०से०	स्नातको० अंक
1.	श्री अनिल कुमार शर्मा (SC) सी/16 दक्षिण सिविल लाइन पंजोड़ी सेंद्रस कालेज कालीनी, जबतपुर.	10.7.62	शासकीय महाविद्यालय, जयपुर	45.6.54	9 556
2.	श्री आशा वरीला (SC) क्वार्टर नं० 106/86, 1464 टोटीनगर, भीपाल.	6.1.64	शासकीय महाविद्यालय, जयपुर	448	1000
3.	श्रीमती आशा वर्मा (SC) पत्नी श्री ओ०के०वमा, सिविल कालीनी, हा०से०गाउण्ड के सामने मलताई जिला	21.5.62	शासकीय महाविद्यालय, डोंगरगढ़	648	764
4.	श्रीमती बीना शर्मा (SC) यादव मण्डो, नोमच-2, नोमच मण्डो.	5.5.57	शासकीय महाविद्यालय, वेतरा	492	759
5.	श्री हरदेव कुमार करड़, (SC) क्वार्टर नं० डी/1 अल्कालाइड, कालीनी, नोमच जिला-भंडसौर.	3.7.62	शासकीय महाविद्यालय, जयपुर नगर	838	713
6.	श्री कमल किशोर शर्मा (SC) 33 नई खोडापति कालीनी, ग्वालियर मण्डो	6.7.58	शासकीय महाविद्यालय, धातौद	706	1154
7.	श्रीमती गिरजा खोलवार (SC) क्वार्टर नं० 179 सड़क 30, सेक्टर-5 भिलाई जिला-दुर्ग.	23.10.61	शासकीय महाविद्यालय, कोरवा	503	650

- 1/- नियुक्त प्रत्याशियों को इत वर्ष किसी भी अर्काई को पात्रता नहीं होगी तथा स्थान परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- 2/- नियुक्त प्रत्याशियों द्वारा अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में यदि दिनांक 28.2.1987 तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी तथा उनके स्थान पर दूसरे प्रत्याशियों को नियुक्त किया जा सकेगा।

श्री जी०पी० शर्मा
उप सचिव


मण्डलशासन, उच्च शिक्षा विभाग.

श्रीमती शर्मा

(Handwritten signature)

7. उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश - स्वमेव निरस्त माना जावेगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/कार्यालयों में कार्यरत - उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोज्यता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

म. प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


बी. एस. बहल
उप सचिव,

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2005

पृ०क्रमांक एफ। ३०३/2003/1/अद्वितीय
प्रतिलिपि:-
=====


1. माननीय मुख्य मंत्रीजी के निजी सचिव, म. प्र. भोपाल।
2. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के अपर सचिव, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग [आरक्षण प्रकोष्ठ], भोपाल।
5. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुरा भवन, भोपाल।
8. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, [राजपत्रित शाखा-5], भोपाल।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग म. प्र.।
10. संबंधित प्राचार्य, डा. स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय म. प्र.।
11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क कक्ष क्रमांक-424-ए-मंत्रालय, भोपाल।
12. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला- म. प्र.।
13. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला- म. प्र.।
14. समस्त संबंधित उम्मीदवार-श्री/श्रीमती/सुश्री/कु.
15. विभागीय, एन. आई. सी. प्रभारी की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
16. आर्डर बुक/कम्प्यूटर कक्ष/गोपनीय कक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोधित।

नोट:-
=====

§ 1 § सहायक प्राध्यापक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा न करने की सूचना दिनांक 20-10-2005 तक अनिवार्य रूप से इस विभाग को सूचित करें।
§ क्रमांक -10 के लिये।

§ 2 § क्रमांक-10 एवं 14- रजिस्टर्ड डाक से ।


बी. एस. बहल
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

6/8/05
ओ०पी० श्रीवास्तव
वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं
सहा० रासायनिक परीक्षक, म० प्र० शासन
राज्य स्नातकोत्तर विज्ञान प्रयोगशाला सान्तर (मि००)

// 2 //

उपरोक्त नियुक्त उम्मीदवार संबंधित प्राचार्य को अपने मूल प्रमाण-पत्र
पिन हेतु प्रस्तुत करेगा। प्रमाण-पत्र सत्यापित पाये जाने पर ही यह नियुक्ति
व्यक्त होगी

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

§ जी.पी.० तिवारी §
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

भोपाल, दिनांक 17.2.81

क्रमांक एफ 1/211/86/ए-1/38,

प्रतिनिधि:-

- 1/- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेषित। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अर्हता संबंधी प्रस्तुत जानकारी संग्रह की जा रही है। मूल प्रमाण-पत्रों से जानकारी सत्यापित करने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करावें एवं विभाग को तदनुसार सूचित करें।
- 2/- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र० भोपाल।
- 3/- अतिरिक्त संचालक, 1, 2, एवं 3 महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय, म०प्र०, भोपाल।
- 4/- समस्त अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र०।
- 5/- माननीय राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक।
- 6/- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 7/- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
- 8/- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।

§ पी.एस.० मेरहस §
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

- 36. श्रीमती सीमा रायबाबा
[आपाती महा०] ०
डी-७ स्वामी धर्मदत्त नगर भोपाल ।
- 37. श्री अशुतोष सिंह
[आपाती महा०] ०
६ नवली नगर वि.नगर,
इंदौर ।
- 38. श्री हेमिन्द्र गुप्त
जगत श्री एम०एस०आर
ध्यातवाता-भैरवी मूल के ऊपर
पंचायती धर्मशास्त्रा जौली वेधवाली
गाँव बुरेना म० ० ।
- 39. श्री एमन कुमार एडिटा
[आपाती महा०] ०
540 की शाहीवाला गेट
इन्द्रासन इंदौर ।
- 40. कु० अमका तोगर
जगत श्री मिरीराज सिंह एडवोकेट
317 विद्या विहार नगर कालोनी
राजघाट जोड़ अलीमद पूरबी० ।
- 41. कु० प्रेम्नाथी
पी-क्यू०-२ साइड जालेज
कालोनी रायपुर ।
- 42. कु० आशा बाध्यानी
जगत श्री एम०एस०आर
नवनीत पटेल एमन कुजालपुर मंडी
म० ० ।
- 43. कु० मेरिी अग्रवाल
जगत श्रीमती ए०अग्रवाल
[तीनियर मिस्टर ट्यूटर मेडिकल
कालेज उत्पतात जगतपुर ।
- 44. श्रीमती अमला तिवारी
[आपाती महा०] ०
एम०आई०पी०-७ पटनाकर नगर
रायपुर ।
- 45. कु० उर्मिला रावत
श्री श्री जी०एस०रावत
134 पण्ड्या गली 3 लेन
गांधी वाट-कटनी जिला जगतपुर ।

शांभवात्मकोत्तर कन्या श्री विद्या
इंदौर ।

शांभवा० मेघदा [दत्तिया] ।

शांभवात्मकोत्तर महा० वेदुल ।

शांभवा० मिजोर [विश्वमुरी] ।

शांभु०ब०वहिन महा० रायपुर

शांभवा० कन्नौद [दिवान] ।

शांभवा० कुण्डन [जगतपुर] ।

शांभवा० पथरिया [रायपुर] ।

शांभवा० सुन्दा [रायपुर] ।

// 2 //

2/ कनकी देवा जी पूर्व में जारी ज्ञापन के अनुसार ही रहेगी ।
राज्य के राजपाल के नाम से तथा
ज्ञापनानुसार ।

उप सचिव,
राज्यपाल, उच्च शिक्षा विभाग
दूरभाष नं०-556233

भोपाल, दिनांक 2 अक्टूबर, 94

पृ०१० एफ-1/137/93/ए-1/38 अतिरिक्त ।

प्रतिगति-

1. सचिव, प०१० लोक सेवा आयोग इंदौर प०१० ।
2. राज्यपाल, उच्च शिक्षा प०१० भोपाल ।
3. महालेखाकार, प०१० स्वातंत्र्य ।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा प०१० ।
5. संबंधित प्राचार्य, का०महा० प०१० ।
6. संबंधितगण ।

नामवर्गी/2494

उप सचिव,
राज्यपाल, उच्च शिक्षा विभाग

574
राज्यपाल, उच्च शिक्षा विभाग

जीवात, दिनांक 18 मार्च, 94
 प्रसंग सं-1/137/ए-1/30/93 [अधीनी] - लोक सेवा आयोग द्वारा नियमितित
 आयोगों को स्थानांतरण का उच्च प्राथमिक [अधीनी] के पद पर पेशमान
 को 2200-75-2800-100-4000 में आगामी आदेशों परिसर आदेशों के तहत उन्नी
 वार के तमाम वर्गित अध्यापक पर नियुक्त किया जाता है यह नियुक्ति पूर्णतः
 आदेशों के तथा जिसे भी तय किया किली तुलना के आधार ही जा सकी।

70 नाव एवं वर्गमान जा
 महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता
 है।

1. 2. 3.


- | | | |
|-----|--|--|
| 7. | डॉ. मनीषा शर्मा
[आपत्ती महाप्रा] द्वारा
द्वारा वी वाचकेश्वर
उप प्राचार्य, एमडीसीकेन्यूय
स्कूल केंद्र एरिया जयपुर। | गांधी/विज्ञान महाप्रा रजाम |
| 8. | मनोज शर्मा
द्वारा वी बीएसके
वी-6/4 महानंद नगर उज्जैन | गांधी राज्य महाप्रा [अधीनी]। |
| 9. | बी. सुदेश कुमार शर्मा
301 हावेली होस्टल
जेएसके नई दिल्ली | गांधी महाप्रा वासुदेव महाप्रा [अधीनी]। |
| 10. | श्री. राकेश तिवारी
द्वारा श्री एमडीसीकेन्यूय
अधीनी, डी. /आई. एन. एन. टी.
वित्तल एयर फोर्स अधि मद्रास
55 पिन कोड-600055 | गांधी महाप्रा माल रोड [अधीनी] किलासपुर। |
| 11. | श्रीमती अर्चना चौधरी
[आपत्ती महाप्रा]
एमआईसीकेन्यूय नगर
जयपुर। | गांधी महाप्रा महिला महाप्रा [अधीनी] जयपुर। |
| | श्री. मनीष अरवी
द्वारा गुनाईड इंडिया इन्फोरेन्स
कीर्ति को विनिर्दिष्ट कर्तृ पुर
स्वच्छता पथ पो. का. 185 वास्को-
डिगावा गोवा। | गांधी महाप्रा रावेगड [अधीनी] रावेगड। |

9	10/2019	अपूर्वा सोनी, 1106 साउथ सिविल लाइन्स परचपेड़ी जबलपुर	शासकीय मोहनलाल हरगोविन्द टास गुरु विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर, Dist - जबलपुर
10	11/2019	रीना शैरन, जेन हॉस्पिटल के पीछे, 32 जोती नगर, बालाघाट, 481001, (म.प.)	शासकीय मोहनलाल हरगोविन्द टास गुरु विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर, Dist - जबलपुर
11	12/2019	पियंका गेहलोत, ग्राम गुलाटी जे. मनावर जिला धार	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बड़वानी, Dist - बड़वानी
12	13/2019	वर्षा सोने, ग्राम काकड़दा तहसील महेश्वर जिला छरगोन मध्य प्रदेश	शासकीय कन्या महाविद्यालय, टंजास, Dist - टंजास
13	14/2019	निशा यादव, मकान नम्बर 4 ग्राम बंजारी वीथार रोड भोपाल	शासकीय डी. रघुगोपाळ मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल, Dist - भोपाल
14	15/2019	मौसमी सिंह सूर्यमणि, अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 308 अरगडे की गली नया बाजार ग्वालियर मध्य प्रदेश	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरार, Dist - ग्वालियर
15	16/2019	मंजू बरखाने, न्यूटन चिखली बस्ती वाई नं. 01 तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा म.प्र.	शासकीय मोहनलाल हरगोविन्द टास गुरु विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर, Dist - जबलपुर
16	17/2019	आरती मल्होसिया, आई 3 विकास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बरसिया रोड करीद भोपाल	शासकीय कन्या महाविद्यालय, विदिशा Dist - विदिशा
17	18/2019	डॉ. रीतिवाला भोर, एच 3/3, पी. डब्ल्यू. डी. क्वार्टर्स, नवलखा, इन्दौर- 452001, म. प्र.	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर, Dist - मंदसौर
18	19/2019	तृषा माहुते, वाई नं 01 नेमा लॉन के पास भटेरा चौकी मकान नं 283 बालाघाट मध्यप्रदेश पिन - 481001	शासकीय कन्या नेहरू कला महाविद्यालय, बालाघाट, Dist - बालाघाट
19	20/2019	मनीषा आर्य, 6, सिविल लाइन ओल्डहोमगार्ड ऑफिस बेतूल, मंज बेतूल	शासकीय मोहनलाल हरगोविन्द टास गुरु विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर, Dist - जबलपुर
20	21/2019	मीरा यादव, 264 D माधव नगर रेलवे कॉलोनी उज्जैन	शासकीय महात्मा गांधी स्मृति महाविद्यालय, इटारसी, Dist - इंदौर
21	22/2019	दीपिका सेठ, 1114 गावशिटे कॉलोनी खंडवा रोड छरगोन	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, हरदा, Dist - हरदा




15. यदि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिनों की अवधि में पर्यटन बंद एवं उद्योग पर नियंत्रण उन्नीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा नियुक्तिपत्रों से कार्यभार ग्रहण करने की संबंधित संस्थाओं को बंधने की अनुमति भी नहीं प्राप्त की गई हो नियुक्ति आदेश द्वारा नियुक्त राज्य जल संयंत्रों में पर्यटन या इस विषयवस्तु से जुड़ी अन्य सचिवालयों में सामग्रीय व्यवसायिक कार्यों को भी बंद किया जाने वाले अंतर्देश आदेशों/अतिरिक्त आदेशों के अंतर्गत है। सामग्रीय व्यवसायिक के आदेशों को भी 15 दिनों में यह नियुक्ति आदेश कबो भी संशोधित किया जा सकता है एवं किसी नियुक्त उन्नीदवार की सेवा कार्यभार अतिरिक्त हो।
16. इस नियुक्तिपत्रों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सित 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत से राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है, तथा उक्त बंधों के परिणामों की उपस्थिति के अन्तर्गत उक्त अधिनियमों द्वारा जारी किये पत्राचार एवं परस्पर करण अतिवादी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के आदेश से
 तथा आदेशानुसार


 (अनंद मिश्रा जी)
 जय अखिल
 मध्यप्रदेश शासन
 उच्च शिक्षा विभाग
 भोपाल, दिनांक 6/12/2019

क्रमांक एक 1-53/2019/38/1
 तारीख :-

1. विशेष सहायक, सामग्रीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
 3. महासंचालक, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
 4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
 5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल,
 6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
 7. समुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल,
 8. संबंधित सामग्रीय चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.,
 9. संबंधित जिला कोषालय, अधिकारी, म.प्र.,
 10. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. पी और लेख है कि संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त विभागीय वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करवाने सुनिश्चित करें,
 11. संबंधित.....
 12. गार्ड फाइल,
- की ओर सूचनाएं एवं पालनाये।


 अखिल मिश्रा 6/12/19
 मध्यप्रदेश शासन
 उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 6/12/2019


क्रमांक एन 1-83/2019/38/1 - राज्य शासन एम्प्लूयमेंट रजिस्ट्रार माध्यम से लोक सेवा आयोग से परामर्श विभागाध्यक्ष उम्मीदवारों की सूची विज्ञान विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर प्राथमिक वेतन रु. 57,700/- के साथ आकांक्षिक वेतन 10 में उनके नाम के समस्त अभिलेख महाविद्यालय में आगामी आदेश तक परिलक्ष्यता देने हुए प्रत्याह्वान रूप में उनके बचपेअर सहण करने के दिनांक से परिशिष्ट पर नियुक्त किया जाता है।

क्र.	लॉ.से.आ. की घयन सूची का क्रमांक/ घयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी आदेश तक परिलक्ष्य किया जाता है।
1	1/2019	शोभा पटेल, बी डी पटेल 12/112 अणुवायन नगर होम के पीछे खुटेही रोड मउपड	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, Dist- रीवा
2	2/2019	पूजा जायसवाल, ग्राम पोस्ट कौठ खुर्द तहसील गोगावा जिला खरगोन मध्य प्रदेश	शासकीय महारानी जयजीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किन्नामवा, इंदौर, Dist- इंदौर
3	3/2019	शीतल, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास पलसूद रोड राजपुर जिला बड़वानी - 451447	शासकीय महारानी जयजीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किन्नामवा, इंदौर, Dist- इंदौर
4	4/2019	भारती गोस्वामी, एम ए /17वत्सला विहार सिविल लाइन्स खंडवा	शासकीय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल, Dist- भोपाल
5	5/2019	छाया हार्डिया, रवा मुसाई मोहल्ला, जूनि इंदौर इंदौर, म.प.	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन, Dist- उज्जैन
6	6/2019	रुधि सोनी, श्री कैलाश चंद सोनी, मकान नम्बर 42, खान मार्केट के पास, राहुकपुरा, खंडवा मध्यप्रदेश, पिन - 450001, पिन	शासकीय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल, Dist- भोपाल
7	7/2019	रेखा सूर्यवंशी, ग्राम इटौरी, पोस्ट टंगहा, तहसील जवा, रीवा 826223	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उज्जैन, Dist- उज्जैन
8	9/2019	डॉ सुनीता भायल, 747 A आनंद विहार स्कीम नंबर 103 केशर बाग रोड इंदौर पिन 452012	शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी, Dist- बड़वानी



- 9/ नियुक्त किये गये अभ्याषियों को 15 दिनों के भीतर पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा। शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्याषी को उपस्थिति के समय नियोजन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 10/ नवनियुक्त अधिकारियों के परिचीकृत काल में पदस्थापना में परिवर्तन/स्थानांतरण का कोई भी प्रयास शासकीय सेवा के अयोग्य तहसिले के लिये पर्याप्त आधार होगा।
- 11/ ऐसे चयनित शासकीय सेवक जो दिनांक 01.01.2005 के पूर्व से राज्य शासन की नियमित सेवा में हैं, उनके संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2006/विद्यम/चार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (मैन) विनियम, 1976 लागू होंगे। दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देशानुसार अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(श्री. बी. पड़वार)

उप सचिव


म.प्र.शा. उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 30/03/2012

पू.क्र एफ 1-124/2011/38-1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., सतपुड़ा मकान, भोपाल।
 3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर।
 4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (म.प्र.)।
 6. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
 7. संबंधित जिला चिकित्सा अधिकारी (म.प्र.)।
 8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला रायसेन(म.प्र.)।
 9. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बेगमगंज जिला रायसेन की ओर आवश्यक कार्यदाही हेतु अग्रेषित। कृपया यह सुनिश्चित करें कि चयनित सहायक प्राध्यापक यदि पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो विधिवत संबंधित संस्था-से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना पर पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 10. श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, रिसर्च स्कॉलर, बॉटनी, डिपार्टमेंट, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर - 470003
- श्री और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. गार्ड फाईल।



उप सचिव

म.प्र.शा. उच्च शिक्षा विभाग

15211C

सन
विभाग
५

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 30/03/2012

क्रमांक एफ 1-124/2011/38-1 : राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवार को सहायक प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र (बैकलॉग) के पद पर वेतनमान रूपये 15600-39100+ AGP 6000 में दो वर्ष की परीक्षा पर उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	वर्ग	पदस्थ महाविद्यालय का नाम
01	01	श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, रिसर्च स्कॉलर बॉटनी, हिपार्टमेंट, डॉ हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर - 470003.	ब.वि.व.	शासकीय महाविद्यालय, बेगमगंज जिला रायसेन।

- 2/ चयनित उम्मीदवार की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की धयनित मुख्य सूची के अनुसार रहेगी।
- 3/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 के नियम 22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभारग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर रहेगी।
- 4/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रयत्न स्वरूप प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- 5/ इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है। उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा।
- 6/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।
- 7/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा।

8/

यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई है नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, अनापत्ति प्रमाण-पत्र व अन्य प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में यदि नियुक्ति पश्चात कोई असत्य पाया जाता है तो एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/मत्ते देकर सेवाये समाप्त की जा सकेगी। इसी प्रकार अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/मत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

Handwritten signatures and stamps in the bottom left corner, including a circular official stamp.

क्रमांक 4100/10/25/85

दिनांक 8-1-85

आयुक्त, महाविद्यालयीय शिक्षा संचालनालय, मद्रास प्रदेस जीवालय, मद्रास के आदेश 20 38/जी.सी.ई./रट्टेडॉ/48, दिनांक 24.8.84. के अंतर्गत सदस्य सचिव, प्रचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, उत्तर द्वारा प्रेषित सूची क्रमांक तबई व्याख्याता/1283/84, उत्तर, दिनांक 29.12.84. के अनुसार श्री श्री कुमार खरे, की तबई नियुक्ति व्याख्याता शैक्षणिक शाखा, के पद पर वेतनमात्र 700-1600 के न्यूनतम वेतन अथवा 700-00 पर उपरिबर्तित के दिनांक से 30 अक्टूबर 1985 तक के लिए अथवा आदेश के अन्य आदेश वा आदेश द्वारा अन्य नियुक्ति तक के लिए जो भी पहले हो की जाती है।

इसकी सेवाएं कभी भी निकाय शिक्षा पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेंगी।

कुमार खरे
श्रीमती कुमा खरे।
राज्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
उत्तरपुर (म. प्र.)

क्रमांक

दिनांक

प्रतिनिधि सुवर्णाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 872 1. आयुक्त, महाविद्यालयीय शिक्षा संचालनालय, मद्रास प्रदेस जीवालय, मद्रास
- 873 2. सदस्य सचिव, प्रचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, उत्तर मद्रास
- 874 3. लेखापाल, शासकीय कन्या महाविद्यालय, उत्तरपुर मद्रास
- 875 4. श्री चर्मण कुमार खरे, द्वारा 2 श्याम नयन, मोहलता वाम, पटना मद्रास को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 15.1.85. तक आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा यह आदेश स्वमेव विरह्यत समझा जावेगा।

कुमार खरे
श्रीमती कुमा खरे।
राज्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
उत्तरपुर (म. प्र.)

- 32. श्रीमती सुपती शर्मा
4 र अशोक कालीनी जातगी बाजार
लखनऊ उपाखण्ड ।
शाओ महाओ रवीपुरकना (इंदौर) ।
- 33. कुओ नीलम सोधा
83, रघना नगर गोरखिन्द पुरा
भीपाल ।
शाओ महाओ देवरी (सुगर) ।
- 34. श्री जीमल कुमार मिश्र
विधि विज्ञान प्रयोगशाला महा-
नगर लखनऊ (उत्तरप्रदेश) ।
शाओ रनातकोत्तर महाओ टिकमगढ़ ।
- 35. कुओ राजकी प्रभाकर वासुदेव
15/4 किल्म कालीनी इंदौर ।
शाओ रनातकोत्तर महाओ कुशानी
(खिरगोन) ।
- 8 36. कुओ दीपति शर्मा
2/10 रनेश्वर काम्पलेक्स, जहाङ्गर
वीक नार्थ डोडोनीनगर भीपाल ।
शाओ रनातकोत्तर महाओ टिकमगढ़ ।
- 37. श्री अवधेश बहादुर सिंह
76 उही तिलकनगर अल्लाहपुर
इलाहबाद (उत्तरप्रदेश) ।
शाओ रनातकोत्तर महाओ पटना ।
- 38. कुओ उषा होरालाल
सिन्धिल लार्डन, इंगले वीक,
गोदिया जिला-भंडारा (भंडारा) ।
शाओ महाओ पाटन (दुर्ग) ।
- 39. कुओ श्रीरामखान
(श्रीमती श्रीराम हसन)
114/19 मिश्राजी नगर भीपाल ।
शाओ महाओ विदिशा ।
- 40. कुओ वसुधा पाण्डेय
पुत्री श्री जगदाश प्रताप पाण्डेय,
दनुमान वीक रहली (सागर) ।
शाओ रनातकोत्तर महाओ पटना ।
- 41. श्री प्रमोद कुमार टाका
गांव-पाटीली डीओअमीनगरसराप
जिला मेरठ (उत्तरप्रदेश) ।
शाओ महाओ कालीदाबाजार (रायपुर) ।
- 42. कुओ प्रभा पाठक
दारा डीओ सोओओपाठक प्रोफेसर
शाओ रनातकोत्तर महाओ सतना ।
शाओ रनातकोत्तर महाओ सतना
(प्राथमिक प्राणीशास्त्र के पद विज्ञान) ।
- 43. श्रीमती रत्ना कुंडार
आपाती सहायक प्राध्यापक
होल्कर विज्ञान महाओ इंदौर ।
होल्कर विज्ञान महाओ इंदौर ।
- 44. श्री गिरिजानंद डोगे
बी-139 वैभव नगर कनकडिया रोड
इंदौर ।
शाओ महाओ नाटपारा (सुगर) ।

// 7 //

- 2/ निपुस्त प्रत्याशी को जिला अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।
- 3/ निपुस्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा/श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय तहसील अधिकारी का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- 4/ पदभार ग्रहण करते समय आगु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही उपाय प्रतिपादित करना होगा । तदनुसार के पश्चात मूल प्रमाणपत्र वापस कर दिया जाएगा ।
- 5/ निपुस्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 9 अक्टूबर, 93 पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा । अन्यथा निपुस्त अदिश निरस्त माना जावेगा । शासकीय अशासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोजता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

[Signature]
§ हरामनाल त्रिवेदी §
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
ओपन दिनांक 14 सितंबर, 93

पृ०क्र० एफ-1/139/93/स-1/38

प्रतिलिपि:-

- 1. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंद्रापुरा को और सूचनाएँ अंग्रेजित ।
- 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
- 4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
- 5. संबंधित प्राचार्य, शाओमहो मध्यप्रदेश ।
- 6. संबंधितगण ।

[Signature]
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी/.....

श्री गणेशाय नमः
उच्च शिक्षा विभाग
//आदेश//

भीपाल, दिनांक 11, सितंबर, 93

क्रमांक एफ-1/139/93/ए-1/30- प्राणीशास्त्र-लोक सेवा आयोग द्वारा निम्न-
लिखित अर्थाधिकारियों को स्थानापन्न तथा एक प्राथमिक प्राणीशास्त्र के पद पर
चयनमान रु02200-75-2800-100-4000 में आगामी आदेश पर्यन्त अर्थाई एवं
ते उनके नाम के सम्यक्त स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति
पूर्णतः अर्थाई है तथा किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा
सकेगी।

नाम एवं वर्तमान पता, महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है।


1. 2. 3.

1. श्री दीपक कुमार वर्मा शा0महा0बातगांव [दिनात] ।
आत्मज श्री भारत सिंह वर्मा
एडो ही0के0वर्मा 2476 महुं [इंदौर]
2. कु0 शिखा वर्मा शा0महा0उतई [दुर्ग] ।
आत्मजा श्री रत0तो0वर्मा
एफ-10/48 तुलसी नगर भीपाल
3. श्री के0के0हरि शा0महा0भानुप्रतापपुर [वत्तर] ।
आत्मज श्री के0पी0के0हरि
20/413 श्यामजित वाटर टैंक
गुलरावारी बाजार गुधियारी,
रायपुर 492001 ।
4. कु0 मंजन कालरा शा0फनातकोत्तर महा0मुना ।
आत्मजा श्री खडपाल कालरा
27 कडणा कालीनो जीवना ी
आगरा 282004 ।
5. श्री विन्दु कुमार शा0महा0रामपुरा [मंदलीर] ।
आत्मज श्री विरेन्द्र कुमार बी-
एम 52 [पर्वी] शालीमारबाग
दिल्ली-110052 ।
6. श्रीमती सीमा दीक्षित शा0कन्या महा0कन्या ।
पत्नी श्री सुयश दीक्षित
28 शक्ति नगर सेक्टर-1 हबीब
गंज भीपाल ।
7. कु0अचना शर्मा शा0नातकोत्तर महा0टोकशहर ।
आत्मज श्री कन्हैयालाल शर्मा,
क्याटर नं0 वाई 45 पी0डकली0
क्याटर 1250 टी0टी0नगर भीपाल ।
8. श्री कोशलिन्द्र कुमार शा0महा0डगरा [खिलासपुर] ।
आत्मज श्री लामेश्वरलाल
श्री/श्री इन्द्रदेव लाल /होलो
कान्हेट स्कूल दोनार दरभंगा बिहार


- 9. कुशाहिना परचीन
आत्मजा श्री शैव अब्दुल अजीज
ए-97 मानसरोवर शाहपुरा भोजाल
मण्डल 462016
शाहपुरा शहर
शाहपुरा शहर
- 10. श्री अशोक कुमार पांडे
आत्मजा श्री गोविंद प्रसाद
पहाड़िया अशोक निकेतन 129
वार्ड-4 सरकारी अस्पताल के
माटापारा शहरापुरा
शाहपुरा शहर
- 11. श्रीमती आदर्श दीक्षित
पत्नी श्री शिवकुमार दीक्षित
गारदा भवन, आजाद नगर
मुहारा
गवालिमर
- 12. कुं अंजला फोरस
आत्मजा श्री मूलक सिंह 21,
आलोक अपार्टमेंट 21/2 मनोरमागंज
इंदौर 452001
शाहपुरा शहर
- 13. कुं शैलजा ठाकुर
आत्मजा श्री सुरेशचंद्र ठाकुर
595 खातोवाला टैंक बक आफ
डोडा कालीनो इंदौर
शाहपुरा शहर
- 14. श्री हरिकृष्ण गर्ग
2/22, साउथ टोटा नगर, भोजाल
शाहपुरा शहर
- 15. श्री संजय कुमार ठिसके
दारा श्री पौरम ठिसके
केदारपुर जोडा पिपल तिवारी
विल्डिंग के पास अधिकापुर जिला
सरगुजा
शाहपुरा शहर
- 16. कुं मंजुला फोरस
21, आलोक अपार्टमेंट 21/2
मनोरमागंज इंदौर
शाहपुरा शहर
- 17. कुं मनोभा कोठेकर
6 कावसजी क्वार्टर्स
राम सोप फेक्ट्री नई बस्तो,
कटनी मण्डल
शाहपुरा शहर
- 19. श्रीमती हनिन्दर मैना
आपातो सहायक प्राध्यापक
शाहपुरा शहर

4. नियुक्त उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
5. इन नियुक्तियों में " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है"।
6. पदभार ग्रहण करते समय संबंधित प्राचार्य को आयु, जाति एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा एवं उनकी छायाप्रतियों सत्यापित करवाकर जमा कराना होगा।
7. शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात् सभी शासकीय सेवक शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तों से आबद्ध हो जाते हैं। "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की प्रति पालनार्थ संलग्न प्रेषित है।
8. उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


27/6/05
(बी.एस. बघेल)

उप सचिव

 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ-1-22/2003/1/अडतीस:
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दि. 27 जून 05

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल
2. माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा के विशेष सहायक भोपाल
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, म.प्र. मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (आरक्षण प्रकोष्ठ) भोपाल
5. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर रीवा


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
::आदेश::

भोपाल दिनांक 27 जून, 2005

क्रमांक एफ-1-22/2003/1/अडतीस मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लेट या पी.एच.डी. की अर्हता अर्जित करने की शर्त पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :-

क	नाम	पदस्थापना
1	श्री कैलाश राय अ. ज. जा.	शा.कन्या खण्डवा
2	कु. मीनाक्षी नागराज अ. जा.	शा.संस्कृत महा.इन्दौर
3	श्री मधुसूदन प्रकाश अ. जा.	शा. महा. गज बसोदा
4	श्रीमती अनुभूति सिंग अ. ज. जा.	शा.महा.बारासिवनी
5	श्री अनिल सिकेत अ. जा.	शा.महा.रामपुर नैकिन
6	कु. बिदिया महोबिया अ. जा.	शा.कन्या छिदवाडा
7	श्री धनभ्राम उईके अ. ज. जा.	शा.महा. परासिया, छिदवाडा
8	श्री राजेश सक.वार अ. जा.	शा.महा. बडनगर
9	श्री अंगदसिंह दोहरे अ. जा.	शा.महा. जौरा
10	श्री दिलेश्वरप्रसाद ग्वालवंशी अ. जा.	शा.महा. अमरवाडा
11	श्री निलेश कुमार मेश्राम अ. जा.	शा.महा. परासिया, छिदवाडा
12	श्री रामबाबू मेहर अ. जा.	शा.महा. इछावर
13	श्री आकाश ताहिर अ. ज. जा.	शा.महा. चंदेरी
14	श्री अरुण कुमार वैध अ. जा.	शा.महा. गाडरवारा
15	श्री मानसिंह अजनार अ. ज. जा.	शा.महा. मनावर, धार
16	श्रीमती आशा गोहे अ. जा.	शा.महा. परसवाडा, बालाघाट
17	श्री शेखर ब्रम्हणे अ. जा.	शा.महा.सीहोरा, जबलपुर
18	श्री रामता प्रसाद आम्रवंशी अ. जा.	शा.महा. छपारा, सिवनी
19	श्री प्रकाश अलंसै अ. जा.	शा.महा. जोवट
20	श्री राजेश कुमार ठाकुर अ. जा.	शा. महा. जवैरा, दमोह
21	श्री चन्द्रशेखर राज अ. जा.	शा. महा. बालाजी मिहोना

कुमार



22	कु. धीरा शाह अ. ज. जा.	शा. महा. हरदा
23	कु. कल्प बाई जमरा अ. ज. जा.	शा. महा. अलीराजपुर
24	कु. कल्पना विश्वास अ. ज. जा.	शा. महा. भैसदेही, बैतूल
25	श्री शिवसिंह मुगलदा अ. ज. जा.	शा. महा. अलीराजपुर
26	श्री चंद्रपाल सिंह रावत अ. ज. जा.	शा. महा. बदनावर, धार
27	श्री सुमेर सिंह सोलंकी अ. ज. जा.	शा. पी.जी. महा. खण्डवा
28	श्री सख राम भूरिया अ. ज. जा.	शा. महा. पेटलावद
29	श्री महेशलाल गर्ग अ. ज. जा.	शा. महा. रामपुरा, मंदसौर
30	श्री कन्हैयालाल धुर्वे अ. ज. जा.	शा. महा. बरही कटनी
31	कु. मंजुला रावत अ. ज. जा.	शा. महा. पी. जी. झाबुआ
32	श्री लखनलाल घोरमारे अ. ज. जा.	शा. महा. तामिया छिन्दवाडा
33	श्री मोतीलाल अवाया अ. ज. जा.	शा. महा. थांदला, झाबुआ
34	श्री मंसाराम उइके अ. ज. जा.	शा. कला एवं वि. महा. रतलाम
35	श्री अजय सिंह कुसरे अ. ज. जा.	शा. महा. लखनादीन, सिवनी
36	श्री जगमोहन सिंह पूषाम अ. ज. जा.	शा. पी.जी. महा. छिन्दवाडा
37	श्री भगतसिंह उइके अ. ज. जा.	शा. महा. पाटन, जबलपुर
38	श्री रामविलास मरकाम अ. ज. जा.	शा. महा. सिवनी मालवा
39	श्री बंसीलाल डाबर अ. ज. जा.	शा. महा. कुक्षी, धार
40	कु. एकता आर्मा अ. ज. जा.	शा. कन्या महा. कटनी
41	कु. कुन्ती उइके अ. ज. जा.	शा. महा. बमनी बंजर
42	श्री शिवनारायण परते अ. ज. जा.	शा. महा. उमरिया
43	कु. विमला देवी मरावी अ. ज. जा.	शा. महा. बुढार, शहडोल
44	श्रीमती गायत्री मरावी अ. ज. जा.	शा. महा. रहली, सागर
45	कु. कविता परस्ते अ. ज. जा.	शा. महा. पथरिया, दमोह

2. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क. डब्ल्यू.पी.-1926/2005 में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 23/2/2005 के परिपालन में उक्त याचिका में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-8/2003/आप्र/ एक दिनांक 13 जनवरी, 2003 में निहित प्रावधान के प्रकाश में उक्त उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं। चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने तथा उपरोक्त कंडिका-1 में वर्णित योग्यता दो वर्ष की निर्धारित अवधि में अर्जित नहीं करने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना सूचना दिए समाप्त की जावेगी।



महाविद्यालयीन शिक्षा सेवासमाज

मध्य - प्रदेश

/भा.शिक्ष. /स्था.0/राज.0/86. बी.पी.ए. शिक्षा

24-1-88

544,

प्रमाणिका
राजकीय महाविद्यालय
--- -- -- -- -- 110 90

विषय:- तदर्थ सहायक प्राध्यापक 1985-86 की नियुक्ति

:::—:::

इसका तलंगन प्रपत्र पर अंकित व्याप्तियों के मूल प्रतियों को
समाप्त कर उन्हें निम्न विषय में आपसे महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त
के तदर्थ नियुक्ति दें।

तलंगन प्रपत्र पर अंकित योग्यताएं पूरी न होने पर नियुक्ति न दी
जावे। तदर्थ नियुक्ति के समय निम्न बातें ध्यान में रखी जायें :-

1. पूर्ण एक वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव को शून्य माना जायें।
2. एक वर्ष के पूर्ण शैक्षणिक अनुभव पर अतिशत का अधिकार दिया जायें।
3. इसके बाद प्रत्येक पूर्ण वर्ष के शैक्षणिक अनुभव पर 2 अतिशत अंक का अधिकार दिया जायें। कम पर नहीं।
4. तदर्थ नियुक्ति गत वर्ष की प्रतीति ही, 6 माह के लिये दी जायें। 6 माह की अवधि समाप्त होने पर 3 दिन का ग्रेक देकर पुनः इतनी प्रकार नियुक्ति दें। प्रत्येक उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश एक वर्ष निर्धारित लिये गये प्रो. पर पृथक निकाला जायें।

महाविद्यालयीन शिक्षा अधिकार के आदेशानुसार,

[Signature]

डॉ. ए. ए. सी. श्रीवास्तव
सहायक संचालक

महाविद्यालयीन शिक्षा, ग. 90



सी.ना.स.स.

[Handwritten mark]

27/1/88

:::- प्रारूप :-

विषय:- वापिस

1. नाम :- श्री केश प्रसाद यादव
2. पिता/कृतेका नाम :- स्व० श्री रामप्रसाद यादव
3. ✓ पता :- 7, स्टेनम्बर लेन मंदिर मार्ग, मारवाड़ी रोड भोपाल
4. जन्म तिथि :- 24-5-59
5. पी० एच० डी० :- *
6. हायर सेकेंड्री :- 467/300
7. स्नातक :- 790/1400
8. स्नातकोत्तर :- 473/300
9. योग :- *
10. एम० फिल :- 220/400
11. अध्यापन अनुभव:-
12. योग्यता का प्रमाण:-

[Handwritten Signature]

§ डॉ० एम० सी० वर्मा §
संयुक्त संचालक
महाविद्यालयीन शिक्षा, एम० एच०
/ माशिसं. / स्था०/राज०/ 86, भोपाल, दिनांक

पृ० क्रमांक /
प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, शासकीय - बालक - - - - महाविद्यालय, बोना
[एम० एच०] की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।
2. श्री केश प्रसाद यादव - - - -
पता : ~~...~~ 7, स्टेनम्बर लेन मंदिर मार्ग, मारवाड़ी रोड भोपाल

की ओर सूचनार्थ अर्पित । कृपया आप दिनांक 3-2-86 तक प्राचार्य, शासकीय, बालक - महाविद्यालय, बोना मध्य प्रदेश के समस्त सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित हो एवं तदर्थ नियुक्ति के आदेश प्राप्त करें । ज्वाइनिंग टाइम कदापि बढ़ाया नहीं जायेगा ।

§ डॉ० एम० सी० वर्मा §
संयुक्त संचालक
महाविद्यालयीन शिक्षा, एम० एच०

सोनालकर

मौजाना, दिनांक 4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एक 1/35/87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितकरण-
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एक-ए-6-30-86-एन[1]
द्वारा 3090 राजपत्र [असाधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्टाफ प्राध्यापक
को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक समाप्त कर दिया जायेगा।
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय में स्टाफ में एड 700-40-
1100-50-1300-असेसमेंट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के तदर्थ अंकित महाविद्यालय
में बरिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
साठ 64. कुमारी हरनीत छानी आत्मजा श्री रामजी ठस्तछानी	8-1-1962	शासकीय केओआरजीओ महाविद्यालय, रघातिपर

शासकीय केओआरजीओ महाविद्यालय,
रघातिपर।

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्प्रापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पार जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्प्रापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं बताया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तुल्य भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

निदेशिका
2

Anal of Probation period.

- 4- यह नियुक्ति कितनी भी जोर से एक माह का नोटिस जथावा उसके खर्च में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।
- 5- बद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा कितनी भी समय पुनरीक्षा किया जा सकता है ।
- 6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि § मास्टर्स डिग्री § के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि § यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है § प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्राचार्यों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

§ जी०पी०सिवारी §
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल, दिनांक - 41 MAR 1987 1987.

सू० क्रमांक एफ 1/38/87/ए-1/38,
प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल § 10 प्रतियों में §
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त तंत्रालय, महाविद्यालयीन शिक्षा.
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.


§ पी०ए०मरहात §
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.

प्रस्तुत करना होगा, एवं साथ साथ प्रतियाँ सत्यापित करना होगा। अन्वेषण के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र उत्पन्न कर दिया जायेगा।

8/ यह निम्नलिखित शर्तों पर अन्वेषण ही तथा बिना कोई कारण बताये यह पत्र का नोटिफिकेशन तथा एक नए का प्रमाण-पत्र देकर तैयार कराने का आदेश है। इसी प्रकार अधिकारी द्वारा भी एक नए का नोटिफिकेशन देकर, जहाँ यह नए का पत्र जमा कराकर देना से स्वाभाविक दिया जा सकेगा।

9/ निम्नलिखित विषय पर अन्वेषणियों को दिनांक 21. अक्टूबर, 93 तक पदस्थानगत कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। अन्वेषण निम्नलिखित विवरण नामक आदेशों के अन्तर्गत आदेशों/निकायों में कार्यरत अन्वेषणियों को उपस्थिति के साथ निवेदन का अनुरोधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,



उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ०३० स्फ-1/1-5/93/स्फ-1/39 (मी. ति. क. शा. त्. र.) सी. पाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 93
प्रतिनिधि:-

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर को प्रेरित सुवचार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश सी. पाल।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश।
5. संबंधित प्राचार्य, शा. ग. म. प्र. मध्य प्रदेश।
6. संबंधित गण।



उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर, 93

क्रमांक एफ-1/115/93/ए-1/38 'भौतिकशास्त्र'-मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के
व्यक्ति निम्नलिखित उम्मीदवारों को स्थायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र के पद
पर अतनमान रु 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के सहायक शिक्षक
महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त
किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है।
1.	2.	3.
165	श्री एम.ए. शाह श्री एम.ए. शाह सी/एम-63 एम.आर.डी.ओ. दुपलेवत गाहपुरा सी जे.ए.ए. भोपाल।	गोवर्धनपुरा एम.टी. भोपाल।

- 2/ मध्य प्रदेश वैज्ञानिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) अर्थात् नियम 1990 के नियम-22 के अनुसार यह नियुक्तियाँ पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीचीया पर रहेंगी।
- 3/ नियुक्त प्रत्यागी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी अतथ्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
- 4/ नियुक्त प्रत्यागी को जिला विधिकसालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- 5/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सहायक अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 6/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी सुदूर शासकीय सेवाओं को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, मध्य प्रदेश विद्यालय सेवा विभाग की सामान्य शर्तों नियम-1961 एवं मध्य प्रदेश वैज्ञानिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) अर्थात् नियम 1990 के अध्याधीन रहेंगे।
- 7/ पदभार ग्रहण करते समय अनुसूचित वैज्ञानिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र

स्थित निरस्त माना जावेगा। शासकीय / अर्द्धशासकीय / विभाग /
 में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनाज्ति
 प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

① ②

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार,

27/6/05
 (बी.एस. बघेल)
 उप सचिव

क. एक-1-29/2003/1/अडाल्टी
 मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
 भोपाल, दि. 27 जून 05

- 1 माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल
- 2 माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा के विशेष सहायक भोपाल
- 3 मुख्य सचिव के उप सचिव, म.प्र. मंत्रालय भोपाल
- 4 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) भोपाल
- 5 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
- 6 सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर
- 7 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन भोपाल
- 8 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर रीवा
- 9 संबंधित प्राचार्य,

म.प्र. (रजिस्टर्ड डाक द्वारा) आप कार्यभार ग्रहण करने/न
 करने की सूचना दिनांक 30 जुलाई 2005 तक अनिवार्यतः सूचित करें।

- 10 सयक्त संचालक, जनसम्पर्क, भोपाल
- 11 जिला सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला
- 12 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला
- 13 संबंधित श्री / श्रीमती / कुमारी
- 14 आर्डर बुक / कम्प्यूटर क्लर्क

म.प्र. (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)

27/6/05
 उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
 27/6/05

4

4

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
आदेशः

भोपाल दिनांक 27 जून 2005

क्रमांक एक-1-29/2003/1/अडतीस. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अधीन निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन्मजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्षों के भीतर नेट या स्लेट या पी.एच.डी. की अहता अर्जित करने के पूर्व 2 वर्षों की परिधीन अवधि पर सहायक प्राध्यापक (प्राथमिक) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में उनके नाम के सम्मुख उम्मीदवारों को महाविद्यालय में कार्यभार सौंप करके उन्हें दिनांक से नियुक्त करने का आदेश किया जाता है -

क्र०	नाम	पदस्थापना स्थान
1	कु. भारती लकाडे अ.जा.	शा. महा. मण्डलेश्वर
2	कु. प्रेरणा आजाद अ.जा.	शा. महा. टिमरनी
3	श्री राजेन्द्र सिंह कुशराम अ.जा.	शा. महा. बारासिखनी
4	श्री अन्ध कुनार राहुल अ.जा.	शा. महा. दतिया
5	कु. मीना दाहिमा अ.जा.	शा. महा. सीहार
6	कु. कमलेश अहिरवार अ.जा.	शा. महा. बरली
7	श्रीमती हनलता वर्मा अ.जा.	शा. पी.जी. महा. दमोह
8	श्री लताश गहरवाल अ.जा.	शा. महा. बड़वानी
9	कु. ... अ.जा.	शा. महा. ...
10	कु. ... अ.जा.	शा. पी.जी. महा. शिवपुर
11	श्री सुकान्तन नेहवाल अ.जा.	शा. महा. रामपुरा, नदमोह
12	श्री बलराम दास चर्मकार अ.जा.	शा. महा. अमरपाटन
13	श्री ... अ.जा.	शा. महा. ...
14	श्री दशपकाश श्रीत्रिय अ.जा.	शा. महा. शदीपुरकला
15	श्रीमती जुडिका कुजूर अ.जा.	शा. महा. नैनपुर, मण्डल
16	श्री महेश कुमार अलाने अ.जा.	शा. महा. नुरार
17	कु. रीता गणोबा अ.जा.	शा. महा. झाबुआ
18	श्री बाबूलाल पाण्डे अ.जा.	शा. महा. विज्ञान महा. रतलम
19	कु. नमता मेधराडे अ.जा.	शा. महा. कुशी
20	श्री महेश कुमार निगवाल अ.जा.	शा. महा. मुगावली
21	श्री राजेन्द्र कुमार कोचले अ.जा.	शा. महा. खातेगाव

[Signature]

55 days copy 2000000
21-07-1987

- 4- यह नियुक्ति किसी भी जोर से एक माह का नोटिफिकेशन अथवा उसके समय में एक माह का वेतन दिया जाकर तत्पश्चात की जा लगेगी।
- 5- यह का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षा किया जा सकता है।
- 6- उपरोक्त नियुक्त पदाधिकारी को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्वातन्त्र्योत्सव उषाधि [मास्टर्स डिग्री] के बाद ही मान्यता प्राप्त उषाधि [यदि वर्तमान में ऐसी उषाधि उनके पास नहीं है] प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको अपने वेतन वृद्धि की बाधा नहीं होगी।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रायश्चित्तों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।

36. Details of the candidate as per
 the order of the Government of Madhya Pradesh
 A copy of the order is being furnished to the
 to the candidate personally by the undersigned.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
 आदेशागुणार,

|| जीवनी ठाकुर ||
 उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

सू० क्रमांक एक 1/ 26 /87/ए-1/38. मोबाल, दिनांक 22 JUN 1987 1987.

प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल [10 प्रतियों में]
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा,
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की जोर। प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्त्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर.

Deque. 253 56.22/1
 450
 P.G. 719/1000 71-90/1

|| पी०एन० अरहात ||
 उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

प्रधान के द्वारा प्रशासन, विभाग में प्रेषित

95 Days

900
1-7-87
10

संथाल, दिनांक 22 जून, 1987.

क्रां सं 1/ 26 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आचन क्रमांक ए-6-30-86-एन[1]
द्वारा 3090 राजपत्र [प्रताधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक
को स्थानांतरण स्व से आगामी आदेश तक प्राचार्य विषय के सहायक
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश विश्विधालय [महाविद्यालयीय शाखा] में 20 700-40-
1100-50-1300-अतेलेन्ट-50-1400 के वेतनमान में उनके मात्र के लिये त्रिकित महाविद्यालय
के वैरिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

प्रत्याशी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
<p>। तऱ ।</p> <p>175- श्री ईतकाव आत्म दुरानी आत्मव एम. ए. डे. दुरानी</p> <p>। शात. महावि., जगदलपुर ।</p>	25.12.1962	शातकीय महाविद्यालय, जगदलपुर

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके वरिष्ठ तत्थापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका वरिष्ठ तत्थापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं थाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा त्केगी ।

3- ✓ उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं ।

श्री आलोक कुमार सिन्हा
रतन विभाग राष्ट्रीय
परिक्षण गृह कभला नैहरू नगर
शाजिवाघाट ४३०५०३

शास. स्नातकोत्तर महा० मण्डला

2. श्री हृदयानन्द पाण्डेय
ग्राम कुतहा पो० बाबुहठी
भावा पुलनरिया लाजपुर
जिला-उपरा ४ बिहार ३

शास. छत्तीसगढ़ महा० रायपुर

3. श्री मनोश शर्मा
पुत्र श्री आर.पो. शर्मा
म. न. एफ डी. 37 सर्किट हाउस
के सामने छिवी के पास छडवा
पूर्व निमाड ३५०५००

शास. स्नातकोत्तर महा० खरगौन

4. श्री दलजीत सिंह सलजा
हदारीस सिंग सलजा
काजी हाउस के सामने
दौलत गंज जिला-चैतल ३५०५०३

शास. स्नातकोत्तर महा० बालाघाट

5. श्री गुरुल कुमार सिंह
क्वाटर नं. डी-104 सेक्टर 11
मुर्वा रांचो ३ बिहार ३

शास. महा० जयपुरनगर ३ रायगढ़ ३

6. कु० अर्चना श्रीमाल
द्वारा श्री वो. एल. श्रीमाल
कलेक्टर निवास 1, सिविल लाईन,
देवास ३५०५०३

शास. के. पी. एल. महा० देवास

7. कु० लक्ष्मी सिंह
द्वारा श्री एल. पी. सिंह
डी-2 नौसेनावाघ 11
नई दिल्ली

शास. स्नातकोत्तर महा० गुना

8. कु० ईला जैन
श्री कमल कुमार जैन
एल. पी. पी. टी. एल. रीवा

शास. महा. अमरघाटन ३ ततना ३

9. श्री सुनील कुमार पाण्डेय
द्वारा श्री एल. एन. पाण्डेय
ए/409 ए. जी. कालोनी
शेखुराक पटना ३ बिहार ३

शास. महा. डोंगरगढ़ ३ राजनांदगांव ३

- नियुक्त पदाधीन को जिला शिक्षा अधिकारी के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र का भार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- 3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के पदाधीन को आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के पदाधीन को उपस्थिति के समय तहसील अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं साथ ही प्रमाणित करना होगा। सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जाएगा।
- 5/ नियुक्त किए गये अभ्यर्थियों को दिनांक 28 अक्टूबर 93 तक पदस्थापन पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा। शासकीय अक्षांश/निहायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोजता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

हौरालाल त्रिवेदी

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 93

पृ० क्रमांक एफ-1/148/93/ए-1/38,

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर की ओर सूचनार्थ अग्रेजित।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
3. महालेखाकार मध्य प्रदेश खालिपर
4. निजी सचिव, सहायक सचिव, एन।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
6. संबंधित प्राचार्य शास. महावि. मध्य प्रदेश
7. संबंधित मण।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 93

एच-1/140/93/ए-1/38 रतानशास्त्र लोके सेवा आयोग द्वारा निम्न-
लिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न तथा एक प्राध्यापक रतानशास्त्र के पद पर
आय १०,२२००-७५-२८००-१००-४००० में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप
से नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति
अस्थाई है तथा कितनी भी समय बना सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

नाम एवं वर्तमान पता

महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया
जाता है।

2

3

श्रीमती भोला चतुर्वेदी
आपाती महाप्रान्त
द्वारा श्री सुधीर मिश्रा,
डॉ-24, 74 अगले भोपाल

शा. एम. व्ही. एम. महा प्रान्त भोपाल

डॉ निवेदिता
द्वारा डा. व्ही. एन. वाचपेवी
रतानशास्त्र विभाग,
रानो दुर्गावती विश्वविद्यालय
कानपुर प्रान्त

शा. महा प्रान्त तिहोरा अजमेर

श्री अर्पण भारद्वाज
महा प्रान्त प्राध्यापक
शा. महा. बुटार अजमेर

शा. नेहरू महा प्रान्त बुटार अजमेर

श्री कुमारी रत्ना पाठक
आपाती महाप्रान्त
द्वारा श्री एन. डॉ. पाठक,
153 अ विद्यापीठ धामपुर
कानपुर प्रान्त

शा. महा. गाडखाडा नरसिंहपुर

श्री अर्पण भारद्वाज
द्वारा श्री ए. पी. भारद्वाज,
153 अ विद्यापीठ धामपुर

शा. महा. पाटन प्रान्त

35.	126	कुमारी गायत्री उईके (प्रावधिक)	अ.ज.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, राजगढ़
36.	134	श्री सुनील कुमार सौधिया	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, अमरपाटन
37.	138	कुमारी संगीता बालिया (प्रावधिक)	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, उमरिया
38.	141	श्री धनसिंह बागनिया	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, गरौठ
39.	114	कुमारी मिथिलेश्वरी बाकडे	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, वाराणसिपनी

2 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ ७ १/२००३/१/अडतीस/एन, दिनांक १३ नवम्बर, २००३ में निहित प्रमाण-पत्र के प्रकाश में उक्त उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किए जा रहे हैं। चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने, ६ माह के भीतर स्थाई जाति प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत नहीं करने तथा उपरोक्त कॉडिका-१ में वर्णित योग्यता दो वर्ष की निर्धारित अवधि में अर्जित नहीं करने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से बिना सूचना दिए समाप्त की जाएंगी।


3 नियुक्त उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

4 इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९९४) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

5 पदभार ग्रहण करते समय संबंधित प्राचार्य को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं उनकी छायाप्रतियां सत्यापित करवाकर जमा कराना होगा। सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिए जाएंगे।

6 शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात् सभी शासकीय सेवक स्वतः ही शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तों से आबद्ध हुए माने जाते हैं फिर भी इस आदेश के संलग्न केवल 'म.प्र. सिविलसेवा (आचरण), नियम, १९६५ की एक प्रति पालनार्थ संलग्न प्रेषित की जा रही है।

7 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपरिर्थाते के समय नियोजन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(जे एस राय)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक-एफ-१-२४/२००३/१/ अडतीस :
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक - २६ नवम्बर, २००४

1. माननीय मुख्यमंत्रीजी के निजी सचिव, म.प्र.भोपाल।
2. माननीय मंत्रीजी/के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (आरक्षण प्रकोष्ठ), भोपाल।
5. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
7. संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
8. अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, (राजपत्रित शाखा-५), सतपुडा भवन, भोपाल।

एक-1-24/2003/
अनुसूचित जनजाति
करने की शर्त पर
8000-275-13500 में उनके नाम के सम्पूर्ण शर्तों पर सहायक प्रथमक गणित के पर पर केगमन से नियुक्त करने हुए पदस्थ किया जाता है-


भोपाल, दिनांक - 26 नवम्बर, 2004
राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति के भीतर नेट या स्लेट या पी एच डी की अर्हता को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लेट या पी एच डी की अर्हता पर सहायक प्रथमक गणित के पर पर केगमन से कार्यभार ग्रहण करने के

क्र.सं.	नाम	वर्ग	सहायक प्रथमक गणित के पर पर केगमन से कार्यभार ग्रहण करने के
10	कुमारी नीलम वासनिक	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सीहोर
86	श्री जगदीश चन्द्र आर्य	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, नीलम
121	श्री बाबूलाल कुम्हार	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, इटावा
56	कुमारी कविता रोहित	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, कर्नाम
160	श्रीमती सुनीता गुजर	अ.जा.	शा. कल्याण महाविद्यालय, काव्यवासी
39	श्रीमती ज्योति मालवीय	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, मन्दावन
30	श्रीमती हेमा यादव	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, मन्दावन
02	श्री विनोद कुमार प्रजापति	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, मन्दावन
88	कुमारी ज्योति पंथी	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, सीहोर
78	श्री हरदयाल अहिस्वार	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बगमन
53	कुमारी संगीता कुल्हारे	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सिहोर
92	श्री राम कुमार	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, इटावा
24	श्री कमल कुमार कोरी	अ.जा.	शा. एम जे एस महाविद्यालय, मिण्ड
80	कुमारी भूमिका धुव	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बरेली
8	श्री रमेश प्रसाद अहरवाल	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, गन्धवासोद
02	श्री रमेश कुमार परमार	अ.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, दमोद
0	कुमारी हेमलता बघेल	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, बल्लभ
1	कुमारी आरती बीरसी	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, नेहनगर
0	कुमारी ज्योति आठिया	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, मन्दावन
7	कुमारी मीनाक्षी रावल	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, नरसिंहगढ़
3	श्री खुशाल देवधरे	अ.जा.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, खरगोन
8	श्री राजकुमार भिमटे	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सनाद
1	श्री सुनील कुमार प्रसाद	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, जायद
4	श्री राकेश कुमार शाक्य	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, गुजालपुर
9	श्री रमेश भिंडे	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, श्योपुरकला
7	श्री देवेश कुमार सागर (विकलांग)	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर
7	श्री बीरसिंह मेडा	अ.जा.	शासकीय कन्या महाविद्यालय, नीमब
1	श्री भारत सिंह जमरे	अ.ज.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, झाकुआ
1	कुमारी संतोषी अलापा	अ.ज.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, विन्धीपी
1	कुमारी नीलम परस्ते	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सेधवा
29	कुमारी ललिता धुर्वे	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, सिहोर
	कुमारी संगीता अरुके	अ.ज.जा.	शासकीय महाविद्यालय, मुलताई
	कुमारी शशि सोलंकी	अ.ज.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, हाजापुर
	कुमारी सीमा मर्साकोले	अ.ज.जा.	शासकीय पी जी महाविद्यालय, खरगोन
			शासकीय महाविद्यालय, कुआ बिछिया

// 7 //

- 2/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- 3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय लक्ष्य अधिकांश का जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4/ कार्यभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही छाया प्रतिमां सत्यापित करना होगा। सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जाएगा।
- 5/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 9 अक्टूबर, 93 पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा। शासकीय अर्थात् शासकीय विभागों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोजता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



§ हारालाल त्रिपाठी §
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 14 सितंबर, 93

सू.प्र.सं. 1/139/93/स-1/38

प्रतिलिपि:-

- 1. सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को और सूचनायें अश्रेणित।
- 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल।
- 3. महासंचालक, मध्य प्रदेश चर्चा निपट।
- 4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश।
- 5. संबंधित प्राचार्य, शा.म.हा. मध्य प्रदेश।
- 6. संबंधितगण।


उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नागवंशी/.....

संस्कृत शिक्षण विभाग,
उच्च शिक्षा विभाग
//आदेश//

मीपात, दिनांक 14 नोव्हेंबर, 93

क्रमांक एच-1/139/93/ए-1/30- (आदेश)-कोट तसेच आधीच वृत्त विभाग-
लिखित उपाधिकों को स्थानापन्न तहसिल प्रमुख प्रशासक के वह पर
संख्या सं02200-75-2800-100-4000 में आगामी आदेश दस्तवेज आधारी तसे
ते उनके नाम के तद्वत दस्तवेज स्थान पर नियुक्त किया जाता है। वह नियुक्त
पूर्वतः आधारी है तथा किसी भी समय बिना किसी सूचना के नकार को जा
सकती।

नाम एवं पतेमान पता महाविद्यालय जहाँ पर कार्य किया जाता है।
1. 2. 3.

- | | | |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | श्री दीपक कुमार वर्मा
आराम श्री भारतसिंह वर्मा
डॉ0 डी0के0वर्मा 2478 महेंद्रगढ़ | श्री0एच0एच0विद्यालय [मीपात] |
| 2. | डु0 शिखा वर्मा
आराम श्री रहोतोवर्मा
एच-10/48 तुलसी नगर मीपात | श्री0एच0एच0उत्तर्ह [दुर्ग] |
| 3. | श्री के0के0हिरण
आराम श्री के0पी0हेतुह
20/413 प्रोजेक्ट माडर् टेंक
तुलसीनारायण बाजार गुधियारा,
रिफर 492001। | श्री0एच0एच0मुक्तानपुर [बनार] |
| 4. | श्री विमल शर्मा
आराम श्री शशीपाल कालरा
27 हस्ता हस्तोनी जीतनी गंडी
आराम 292004। | श्री0एच0नारायणनगर महापुना। |
| 5. | श्री विन्हा शर्मा
आराम श्री विन्हा कुमार श्री-
एम 52 [पथी] गालीमरबाग
दिल्ली-110052। | श्री0एच0एच0नपुरा [मीपात] |
| 6. | श्रीमती सोम शीशिल
पतनी श्री सुधा दीक्षित
28 शक्ति नगर मेवडर-1 हवेली
नर मीपात। | श्री0एच0नया महा0 कसवा। |
| 7. | श्रीमती शर्मा
आराम श्री हनुमालाल शर्मा
मेषाडर नं0 पार्स 45 पी0ड0वनी0डी0
आराम 1250 टी0टी0नगर मीपात। | श्री0एच0नारायणनगर महा0 टोकागढ़। |
| 8. | श्री श्रीमती शर्मा
आराम श्री श्रीमती आनेश्वरलाल
सी/श्री हनुमदेव लाल /होली कुत
आराम नर दोनार दरभंगा बिहार | श्री0एच0उत्तर्ह [बिलातपुर]। |

एक नियुक्ति मिली थी और से एक माह का निर्दिष्ट जमाना उनके एक माह का वेतन दिया जाकर तथापि ही वा लगेगी ।

एक का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा मिली थी तबसे पुनर्निर्दिष्ट का जाता है ।

उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इत आदेश के जारी होने के दिनांक से वर्षों के अन्दर स्वातन्त्र्य उपाधि [भारतीय सिपी] के बावजूद की मान्यता प्राप्त उपाधि [यदि वास्तव में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है] प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन पुटि की पात्रता नहीं होगी ।

नियुक्ति में अनुचित जाति/अनुचित वर्ण जाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

जन्म तिथि - 30-09-1941
प्रमाणपत्र संख्या - 260/450
सर्वोच्च न्यायालय संख्या - 667/1980
सर्वोच्च न्यायालय संख्या - 22-00-1983
सर्वोच्च न्यायालय संख्या - 25/3137

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी.पी.जी. तिवारी
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

भोपाल, दिनांक 0 MAR 1987 1987.

प्रतिनिधि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आमुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल § 10 प्रतियों में §
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा,
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्त्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर.

Professor & Head
Department of Zoology
National Vignya Mahavidyalaya
BHOPAL M.P.

शासन संदीय महाविद्यालय, भोपाल में मुद्रित

पी.ए.एम. रहात
उपर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

भोपाल, दिनांक 10 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एच 1/26 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के शासन क्रमांक एच-ए-4-30-86-एन[1]
द्वारा 3090 राजपत्र [असाधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित त्हायक प्राध्यापक
को स्थानाबन्धन स्व से आगामी आदेश तक _____ तिथि के त्हायक
प्राध्यापक बट पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा [प्राधीनारम्भ] महाविद्यालयीन शाखा [] में एच 700-49-
1100-50-1300-अतेलरेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के लक्ष्य अंकित महाविद्यालय
में बरिबीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

प्रत्याशी एवं विता/वति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पदांकित किया जाता है
ता० 78. कु० कल्पना देवे आत्मजा श्री आर०स्त०देव [शातकीय महाविद्यालय, बंजवातीदा]	30-9-1961	शातकीय महाविद्यालय, बंजवातीदा

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार/नियम कि
कर हैं।

शासकीय कन्या महाविद्यालय, शिवाजीनगर, भोपाल 40300

क्रमांक 640 1861शाकम्।भोपाल दिनांक 1813।186

19/3/86

जा देश

श्रीमती।कुमारी कीर्ति जैन, तदर्थ सहायक प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र,
की नियुक्ति रिक्त प्राध्यापक वनस्पतिशास्त्र के ^{विद्युत} पूर्णातः अस्थाई
तौर पर 700-1600 के न्यूनतम वेतन रुपये 7001- पर तदर्थ सहायक प्रा०
पद पर दिनांक 1813।186(पूर्वाह्) से की जाती है।

यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णातः अस्थाई है। यह अस्थाई नियुक्ति दिनांक
30-4-86 अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा क्विन प्रत्याशी के पदांकन किये
जाने अथवा शासन के अन्य आदेश होने तक जो भी पहले ही समाप्त हो जावेगी।
यह नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

641/1861

(डा० श्रीमती एस० राजवाड़े)
प्राचार्या

पुष्पांकन क्रमांक 1861शाकम्।भोपाल दिनांक 1813।186

प्रतिलिपि :-

- 1: संयुक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा 40300, भोपाल।
- 2: संबंधित अधिकारी।
- 3: लेखाशाखा, शा० कन्या महाविद्यालय, भोपाल।
- 4: व्यक्तिगत ऋती।

(डा० श्रीमती एस० राजवाड़े)
प्राचार्या

18/3

- 4- यह नियुक्ति किसी भी जोर से एक माह का नोटिस अथवा एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।
- 5- बंद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनर्जाता जा सकता है ।
- 6- उक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि § मास्टर्स डिग्री § के बाद की उपाधि § यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है § प्राप्त करने अन्याय उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
आदेशानुसार,

§ जी०पी०तिलक
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा

शु० क्रमांक एफ 1/ 25 /87/ए-1/38, भोपाल, दिनांक - 4 MAR 1987

प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल § 10 प्रति
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा,
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

§ पी०एन०अरहात ।
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश

मोबाल, दिनांक 4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक एक 1/ 25 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का निवृत्तिकरण नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एक-ए-4-30-86-एन॥1॥ द्वारा 3090 राजस्व [उत्पादन] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्थायक प्राध्यापक से स्थानावन्न स्व से आगामी आदेश तक आदेश दिवस के स्थायक प्राध्यापक बट बर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में 700-40-100-50-1300-असेलमेंट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के लक्ष अंकित महाविद्यालय बटिबीछा बर नियुक्त किया जाता है।


प्राथमिक एवं पिता/वृत्ति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ वदांकित किया जाता है
श्री मुनीष कुमार गुप्ता आत्मन् श्री हरस्यस्य गुप्ता	15-8-1961	शासकीय महाविद्यालय, छरेरा

उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्पावन प्रतिबेदन के समाधान कारक पाए जाने पर प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्पावन प्रतिबेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तत्संगत भरती नियमों के अनुसार/नियुक्त हैं।

4. नियुक्त उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
5. इन नियुक्तियों में " मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (कमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है"।
6. पदभार ग्रहण करते समय संबंधित प्राचार्य को आयु, जाति एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा एवं उनकी छायाप्रतियों सत्यापित करवाकर जमा कराना होगा।
7. शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात् सभी शासकीय सेवक शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तों से आबद्ध हो जाते हैं। "मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की प्रति पालनार्थ संलग्न प्रेषित है।
8. उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


27/6/05
(बी.एस. बघेल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांक नं. एफ-1-22/2003/1/अडतीस:

भोपाल, दि. 27 जून 05

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव, मध्यप्रदेश भोपाल
2. माननीय मंत्रीजी उच्च शिक्षा के विशेष सहायक भोपाल
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, म.प्र. मंत्रालय भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, (आरक्षण प्रकोष्ठ) भोपाल
5. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन भोपाल
8. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर रीवा


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
::आदेश::

भोपाल दिनांक 27 जून, 2005

क्रमांक एफ-1-22/2003/1/अडतीस: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लेट या पी.एच.डी. की अर्हता अर्जित करने की शर्त पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :-


क्र	नाम	पदस्थापना
1	श्री कैलाश राय अ. ज. जा.	शा.कन्या खण्डवा
2	कु. मीनाक्षी नागराज अ. जा.	शा.सरकृत महा.इन्दौर
3	श्री मधुसूदन प्रकाश अ. जा.	शा. महा. गंज बसौदा
4	श्रीमती अनुभूति सिंग अ. ज. जा.	शा.महा.बारासिवनी
5	श्री अनिल साकेत अ. जा.	शा.महा.रामपुर नैकिन
6	कु. विद्या महोबिया अ. जा.	शा.कन्या छिदवाडा
7	श्री धनभ्राम उईके अ. ज. जा.	शा.महा. परासिया, छिदवाडा
8	श्री राजेश सकवार अ. जा.	शा.महा. बडनगर
9	श्री अंगदसिंह दोहरे अ. जा.	शा.महा. जौरा
10	श्री दिलेश्वरप्रसाद ग्वालवंशी अ. जा.	शा.महा. अमरवाडा
11	श्री निलेश कुमार मेश्राम अ. जा.	शा.महा. परासिया, छिदवाडा
12	श्री रामबाबू मेहर अ. जा.	शा.महा. इछावर
13	श्री आकाश ताहिर अ. ज. जा.	शा.महा. चंदेरी
14	श्री अरुण कुमार वैद्य अ. जा.	शा.महा. गाडरवारा
15	श्री मानसिंह अजनार अ. ज. जा.	शा.महा. मनावर, धार
16	श्रीमती आशा गोहे अ. जा.	शा.महा. परसवाडा, बालाघाट
17	श्री शेखर ब्रम्हणे अ. जा.	शा.महा.सीहोरा, जबलपुर
18	श्री रामता प्रसाद आम्रवंशी अ. जा.	शा.महा. छपारा, सिवनी
19	श्री प्रकाश अलंसै अ. जा.	शा.महा. जोवट
20	श्री राजेश कुमार ठाकुर अ. जा.	शा. महा. जवैरा, दमोह
21	श्री चन्द्रशेखर राज अ. जा.	शा. महा. बालाजी मिहोना

कुमार



5/ नियुक्त किये गये अध्यापिकाओं को दिनांक 31 दिसंबर, 74 तक पदों पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। 1- नियुक्ति आदेश निरस्त जायेगा। भारतीय अध्यापिकाओं/अध्यापकों में कार्यरत अध्यापिकाओं को उनके समस्त नियोयता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


6/ नवनियुक्त अधिकारियों के द्वारा पदग्रहण में परिवर्तित/त्यागपत्रों को भी प्रमाण सांख्यिक सेवा के अन्तर्गत रखाने के लिये पूर्णतः आधार होगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,



ज्योतिरामल त्रिपाठी

उप सचिव,
मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग
भुवनेश्वर सं०-556233

सूच्य सं-1/135/93/स-1/1987/मध्यप्रदेश भी.सं. दिनांक 30/11/74
प्रतिनिधि-

1. विशेष सहायक मान्य राज्यमंत्री/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर का और सूचनाएं अधिसूचित।
2. आचार्य, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भी.सं।
3. अधिकृत संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भी.सं।
4. महाप्रबंधक मध्यप्रदेश खासियार।
5. संबंधित शिक्षा विभाग/विभाग अधिकारी मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
7. संबंधित क्षेत्रीय अधिकृत संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
8. संबंधित प्राचार्य सचिव महाप्रदेश मध्यप्रदेश यदि नियुक्त स्थान पर पद रिक्त न हो स्यात् तदन्तर्गत प्रतिनिधि संकेत सूचित किया जाय।
9. संबंधित प्राचार्य सचिव महाप्रदेश मध्यप्रदेश यदि नियुक्त स्थान पर पद रिक्त न हो स्यात् तदन्तर्गत प्रतिनिधि संकेत सूचित किया जाय।
10. संबंधित अधिकारी मध्यप्रदेश।


उप सचिव,
मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग


प्रमुख सचिव
सांख्यिकीय पी. जी. महाविद्यालय
पोहोर (म. प्र.)

संस्कृत विभाग,
उच्च शिक्षा विभाग
संस्कृत, दल्लभ भवन बीकानेर
//आदेश//

बीकानेर, दिनांक 30/11/74

क्रमांक एफ-1/135/93.73-1/36 (अपाठ्यक्रम)- नोट केवल अधीन द्वारा विद्यार्थियों को स्थापना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष के लिए 2200-75-2000-100-4000 में आगामी आदेश के अन्तर्गत स्थापना के अन्तर्गत के रूप में तदर्थ स्थान पर नियुक्त किया जाता है जो नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा किसी भी समय किया जा सकता है अथवा दोहरा नहीं।

क्र.	नाम एवं वर्तमान पता	आवृत्ति/संस्थान जहाँ कार्य किया जाता है।
70.	श्री विनय कुमार शर्मा 108 जमुनिया बाग फतावाह	शांभुदास विद्यापीठ टीकमगढ़
74.	श्री विनोद नारायण जहाँ श्री लेखनंदन प्रसाद राजस्थान के राजकीय कक्षाएं- 4-467/11/63 अन्तर्गत नियुक्त।	शांभुदास विद्यापीठ नगर टीकमगढ़
82.	श्री श्रीमती गंगा देवी संस्कृत संस्थान श्री श्री श्री 4/13 जहाँ स्कूल के पास अन्तर्गत श्री श्री श्री श्री	शांभुदास विद्यापीठ टीकमगढ़
83-	श्री श्रीमती विजया देवी शांभुदास विद्यापीठ टीकमगढ़ क्रमांक एफ-1, शांभुदास विद्यापीठ राजस्थान के अन्तर्गत 4/40/73	शांभुदास विद्यापीठ टीकमगढ़

- 2/ नियुक्त प्रत्यासी को जिला शिक्षा अधिकारी के मेडीकल बोर्ड का स्थापना प्रमाण-पत्र कार्यालय मुहल करी समय प्रस्तुत करना होगा।
- 3/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष श्रेणी के प्रत्यार्थियों के आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के प्रत्यार्थियों को उपस्थिति के समय तदर्थ प्रमाणपत्रों का जमा करना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 4/ आगामी मुहल करते समय अन्य एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी पूरा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही साथ प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र के अभाव में प्रमाण-पत्र वापिस कर दिया जाएगा।

अभिमान
@Wame
- 21 5.

नियम, 1976 लागू होंगे। दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देशानुसार अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
निर्देशानुसार

(Signature)
(श्री.बी.पड़वार)

उप सचिव
म.प्र.शा., उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र.एफ 1-40/2011/38-1

भोपाल, दिनांक 04/07/2011

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (म.प्र.)।
6. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
7. संबंधित संभागीय चिकित्सा अधिकारी (म.प्र.)।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी (म.प्र.)।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया यह सुनिश्चित करें कि चयनित प्राध्यापक यदि पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो विधिवत संबंधित संस्था से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना पर पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. गार्ड फाईल।

(Signature)
उप सचिव
म.प्र.शा., उच्च शिक्षा विभाग

(Signature)
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
फोन नं. - 222051

दिनांक: 15/05/2019

अर्थात् एक 1 स/2019 से 1 राज्यपदेश जिनमें उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विद्यमान उच्च शिक्षा की प्रशासनिक कार्यालयों के लिए एक-एकमात्र रूप से 174000-175000-180000 में दो वर्ष की परिधि में एक वर्ष की अवधि में उच्च शिक्षा विभाग में आवेदनी रूप से उच्च शिक्षा विभाग के विभाग में नियुक्त किए जाएंगे -

क्र.	अनुसूची क्र.	नाम एवं वर्तमान पता	पुनर्स्थापित स्थान
01	02	डॉ. महेन्द्र परवीन बी-21, राजस मिनामद्रीम कोलापी धी-विद्यापीठ भोपाल	शासकीय जयवन्ती महाविद्यालय मिण्डा
02	04	डॉ. विमल कोर्से ए. 200 (मक. 2) जे. ए. ए. एन. टी. - 402000	शासकीय जयवन्ती महाविद्यालय मिण्डा
03	07	श्रीमती सुस्मिता मनोहर 40, जयवन्ती नगर, नई गास नर, नरेश कोणी, विद्यापीठ बी.जे. भोपाल	शासकीय जयवन्ती महाविद्यालय, मिण्डा
04	08	डॉ. शक्ति मारुजा, 1, लकर कोलापी, तहसील रान, पुलिस पोस्ट वाउन्ड के पोस्ट, जयवन्ती (ज.प्र.)	शासकीय जयवन्ती महाविद्यालय, मिण्डा
05	10	डॉ. राजनी रेना नी दोंगू, 52, आदी परिसर, फंस-1, शमसेरनिया, भोपाल - 482043	शासकीय जयवन्ती हक्सर वाली महाविद्यालय, देतूल।

- अर्थात् उम्मीदवारों की परिष्कृत लोक सेवा आयोग की अर्थात् मुख्य सूची के अनुसार रहेगी।
- राज्यपदेश शासन सेवा (महाविद्यालयीन शिक्षा) अधिनियम 1990 के नियम 22 के अनुसार यह नियुक्तियां परम्परागत रूप से एक दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तित पर रहेंगी।
- नियुक्त उम्मीदवारों सामाजिक विकल्पा अधिकारी द्वारा प्रस्तावित स्थान-धन कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर.....

Handwritten marks and numbers at the top right of the page.

मजदूर, 1989

2090

Handwritten mark on the left margin.

क्र.सं.	नाम	पता	महानगर
1.	श्रीमती रमणी शर्मा
2.	श्री. वी. के. गुर्जर
3.	श्री. जी. आर. शर्मा
4.	श्री. आर. एन. घेंडी
5.	श्री. सुनील कुमार
6.	श्री. अरविन्द शर्मा
7.	श्री. सुनील कुमार
8.	श्री. सुनील कुमार
9.	श्री. अशोक कुमार
10.	श्री. विवेक कुमार
11.	श्री. रामपीर सिंह
12.	श्री. सुनील कुमार
13.	श्री. जयदेव कुमार
14.	श्री. अशोक कुमार

Handwritten signature at the bottom left.

Handwritten text at the bottom right.

2

35. श्री लखराम शिंदे
18. जा. 1

मालूम करि
10000 रु. 191225

36. श्रीमती अर्पणा गडवाल
13. जा. 1

श्री-सुमती-9, रामनिवेश
घाट, संपतर रोड, सरकाहा,
मुंबासुर.

37. श्री नरेन्द्र कुमार् लखरे
13. जा. 1

ग्राम-ला मानो नभीठा,
पो-मुसरा, डी.सि.गड,
राकाहावादि.

प्रमाणित करि
1. कर्नाटक प्रमाणित

प्रमाणित करि
प्रमाणित करि

प्रमाणित करि
दखती

प्रमाणित करि
प्रमाणित करि

अथ तद्विषय
म. प्र. प्र. प्र. प्र. प्र.

प्रमाणित करि
प्रमाणित करि

प्रमाणित करि
प्रमाणित करि

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग,

// आदेश //

26

42

श्रीपात, दिनांक 03 नवम्बर 1989
क्रमांक 3679/3259/अ-1/89 संलग्न परिशिष्ट में अंकिता शिक्षा/विभागों के प्रत्याशियों की मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा। उच्च शिक्षा में सहायक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक रुपये 2300-75-2800-100-4000 के यूजीसीपी0 वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदांकन उनके नाम से समस्त अंकिता महाविद्यालय में किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके पत्र में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3/ आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए प्रथम अवसर आते ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग की इस चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति किसी भी पूर्ण सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पद स्थापना के महाविद्यालय में प्रत्याशी कार्यभार ग्रहण करना है।

5/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

6/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला पिकेत्सालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7/ पूर्ण में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा आने नियुक्ता। यदि अभी कहीं सेवा में हैं, तो। द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यात के नाम से
तथा आदेशानुसार

1 अक्टूबर 1989

उच्च शिक्षा विभाग,
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

क्रमांक १२ / /८४

दिनांक : ७/१/८५

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक ए-१/८३/१९/इ-५/२०, दिनांक ४/५/८१

में निहित निर्देशों के अंतर्गत श्री/कु/श्रीमती - मीना डी सक्सेना - - - - -
पिता/पति - श्री शश २२०० सक्सेना - - को गृहविज्ञान के पद पर पूर्णतः
अस्थायी तौर पर रूपये ७००-१६०० के न्यूनतम वेतन रूपये ७००/- पर तदर्थ व्याख्याता
पद पर नियुक्त किया जाता है।

२/ यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यह अस्थायी नियुक्ति ६ माह/३०-४-८५ तक
अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रत्याशी के पदांकन किये जाने अथवा स्थाना-
न्तरण के फलस्वरूप पद भार ग्रहण किये जाने अथवा शासन के अन्य आदेश होने तक,
जो भी पहिले हो समाप्त हो जावेगी। यह नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी
पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

Principal,
Serv. Home Science Collg.
Hoshangabad.

पृ०क्र० / /८४

दिनांक:

प्रतिलिपि:

- १। सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.
- २। अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल.
- ३। आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, म०प्र० सतपुरा भवन, पांचवों मंजिल भोपाल.
- ४। संबंधित व्यक्ति - श्री मीना डी सक्सेना, डी-११/१-चार डमली भोपाल

संबंधित व्यक्ति कृपया नोट करें -
१- आपको अपना पदभार दिनांक ७/१/८५ नवम्बर १९८४ पूर्वान्ह तक अवश्य
ग्रहण कर लेना है अन्यथा आपको नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

२- नियुक्त स्थान में परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। इन दिनों में किये
गये प्रयासों का नियुक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा

३। अतिरिक्त संचालक,
पांचवों मंजिल, भोपाल.

४. महाविद्यालय शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन

के. शाखा.

३

कार्यालय प्राचार्य शासकीय गृहविज्ञान महाविद्यालय, होशंगाबाद

9. जिला चिकित्सा अधिकारी, भोपाल ।
10. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल ।
11. संचालक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, म. प्र. भोपाल ।
12. सुश्री मीनाक्षी टाण्डेकर, आवास गृह क्रमांक-16, छत्रपति शिवाजी कालोनी, पुना भद्रा, डोलार रोड, भोपाल ।
13. आर्डर बुक/कम्प्यूटर कक्ष/गोपनीय कक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अेषित ।

Sachin
103
॥ डॉ. एन. पचोली ॥
उपसचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
दूरभाष 2597314.

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्तम भवन-462004.
:: आदेश-श ::
=====

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी, 2003.

क्रमांक एफ. 1/54/2002/1/अडतीस: राज्य शासन द्वारा सुश्री मीनाक्षी टाण्डेकर, पुत्री स्वर्गीय श्री रामजी टाण्डेकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा भूतपूर्व आयुक्त, उच्च शिक्षा म. प्र. भोपाल को सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र के पद पर वेतनमान रु. 8000-275-3500/- में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से विशेष अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाकर उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, म. प्र. भोपाल में पदस्थ किया जाता है :-

1. यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।
2. नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी अतथ्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।
3. नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

म. प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

डॉ. एन. मधुचौली
उपसचिव,

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ. 1/54/2002/1/अडतीस
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी, 2003.

1. सचिव, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मध्य प्रदेश, भोपाल।
 2. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, म. प्र. भोपाल।
 3. सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अ. 1/कक्ष-1, भोपाल।
 4. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 - निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - महालेखकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
 8. आयुक्त, उच्च शिक्षा संवालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 - राज्य अतिरिक्त संवालय, उच्च शिक्षा भोपाल-होशंगाबाद संभाग, भोपाल।
- वेतन व्यवस्था हेतु अर्पित।

विषय:- हिन्दी

- 1. सुश्री उषा अ. शासकीय महाविद्यालय, जारोन, गुना।
- 2. श्रीमती सुधा कुशवाह शासकीय महाविद्यालय, धमटा । दुर्ग।
- 3. श्री विवेक कुमार शासकीय महाविद्यालय, आलोट । रतलाम।
- 4. सुश्री उषा कुज शासकीय महाविद्यालय, तालवहादुर, नगर । राजसमन्तपुर।
- 5. श्रीमती कुसुम पाण्डे 14, हनुमान नगरतीलर डीह पो. मोहननगर, दुर्ग शासकीय महाविद्यालय, साजा । दुर्ग।
- 6. श्रीमती कल्पना भटोरिया आर. एम. भटोरिया, 42 गिब कुटीर फलका गली, पुरानी कस्ती, भिण्डा शासकीय महाविद्यालय, अदौर । भिण्डा।
- 7. श्री वीर सागर अ. वटार प्रोडरमल हमारक भवन २-4 वापूनगर, जयपुर शासकीय महाविद्यालय, जावद इमंत्तौर।
- 8. श्री ततरंज कुमार सिन्हा / वटारा:- एस. सिन्हा, राजकीय आफिस नवाडा, पोस्ट नवाडा जिला नवाडा शासकीय महाविद्यालय, नयी गढ़ी । रीवा।
- 9. सुश्री कमलजीत कौर वटारा- जे सिंह, आशाकुंज विद्या नगर, विलासपुर शासकीय कन्या महाविद्यालय, विलासपुर
- 10. सुश्री सरोज गुप्ता वटारा- एल. जे. दाररिया 193/2 चमेली चौक, सागर शासकीय महाविद्यालय, गढ़ाकोटा । सागर।
- 11. सुश्री इला द्विवेदी वटारा- शोभा प्रजापति का मकान, टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे झलीपारा, विलासपुर शासकीय कन्या महाविद्यालय, देन्डा । विलासपुर।
- 12. श्रीमती संगीता भटनागर आलोक सक्सेना, 57 आनंदनगर, रायपुर-492001 शासकीय महाविद्यालय, बजारी । रायपुर।
- 13. सुश्री मीनू चतुर्वेदी 50/16 साउथ टी. टी. नगर भोपाल शासकीय महाविद्यालय, पञ्जारी, भोपाल तिरन्तर

28

ए.ए. 3680/एफ-3259/38-1/89

भोपाल, गिरी

प्रतिसिपि :-

- 1/ आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल ।
 - 2/ समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ।
 - 3/ संबंधित प्रत्याशी & अपने मूल प्रमाण पत्रों को प्राचार्य से प्राप्त करके ही कार्यालय गृहण करेंगे & ।
 - 4/ विशेष सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी मध्यप्रदेश ।
 - 5/ संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनाएं एवं निम्नानुसार आवाहक जारी करने के लिए ।
- अ- नियुक्ति प्रत्याशी की जन्म तिथि, पी. एच. डी./एम. फिल., स्नातकोत्तर हायर सेकण्डरी के मूल प्रमाण पत्रों/अंक सूचीयों एवं म.प्र. के शासक के अध्ययन अनुभव (यदि हो) के मूल प्रमाण-पत्र सत्यापित कर कार्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बिकलांग प्रत्याशी के मूल प्रमाण-पत्र सत्यापित करें । बाद सत्यापित निम्न प्रमाण पत्र में संबंधित सहायक प्राचार्य सम्पूर्ण विवरण अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रेषित करें - 1- नाम 2- वर्ग 3- विषय जिसमें नियुक्ति दी गई 4- वर्ग & सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/बिकलांग/भूत पूर्व सैनिक & 5- शैक्षणिक योग्यता-हायर सेकण्डरी, स्नातकोत्तर का पूर्ण प्राप्तांक एवं प्रतिशत & दशमलव के उ. अंक & 6- पी. एच. डी./पी. एच. डी. का परिणाम/नोटिफिकेशन विवरण 7- शून्य अंक प्राप्त विषय होने का प्रमाण पत्र ।
- ब- प्राचार्य, यह भी सुनिश्चिता कर लें कि प्रत्याशी ने स्नातकोत्तर उपाधि/उपाधि उस विषय में प्राप्त की है, जिसमें उसे नियुक्ति दी गई तथा स. फिल. पी. एच. डी. विधिवत है ।

& आरंभ के मायुर & 6!!
अवर सचिव

म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

उपा.//

// आदेश //

श्रीमान दिवांकि ए. नारायण

क्रमांक 3679/3259/30-1/89 संलग्न परिशिष्ट में दिवांकि ए. नारायण के नाम पर
की मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग विभाग में स्थायी प्राध्यापक के पद पर आपाती
तौर पर स्थापना के लिए आपाती आदेश क्रमांक 2200-75-2000-1074-4070
के प्रतीतिगत वेतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के
अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पदांजन उनके नाम से समग्र अंजित
महाविद्यालय में किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति जिला भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके सत्र में
एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3/ आपाती तौर पर नियुक्त सहायक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिए
प्रथम अक्षर आते ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा।
लोक सेवा आयोग की क्रा. चयन सूची में जिन आपाती तौर पर नियुक्त सहायक
प्राध्यापक का नाम नहीं पाया जायेगा उनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के
समाप्त की जा सकेगी।


4/ नियुक्त प्रत्याशी को अपनी पद स्थापना के महाविद्यालय में
प्रत्याशी कार्यभार ग्रहण करना है।

5/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर
नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

6/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड का, स्वास्थ्य
प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

7/ पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा अपने नियोक्ता से यदि अभी कहीं सेवा
में हैं, तो वे द्वारा दिया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
तथा आदेशानुसार



। आर०के० माधुर । 8.10

अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग


- 4. पर्यटन ग्रहण करते समय संबंधित नगरों को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं उसकी प्रामाणिकता सत्यापित कराकर जमा करना होगा।
- 5. सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- 6. शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात सभी शासकीय संबंधित हो शासन के सम (आयुक्त) नियम 1085 के अधीन रहेंगे।
- 7. इत नियुक्ति पर कित्त विभाग के परिपत्र 9/3/2008/नियम/घर. दिनांक 17.9.2008 के अनुसार दिनांक 1.1.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अशदान पेंशन योजना लागू होगी।
- 8. उम्मीदवारों का नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंभू निरस्त माना जावेगा।
- 9. भारतीय/अध्यासकोश/दिमागो/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियुक्ति का अनापत्ति जना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 10. आदेश के अनुक्रमांक 2,3,6 एवं 8 पर अंकित उम्मीदवारों की नियुक्ति सा020वि0 के परिपत्र क्रमांक एफ-7-6/अ.प/एक दिनांक, 13.1.2003 के निहित शर्त के अधीन की जा रही है "जहाँ नियुक्ति आदेश बरिष्ठ सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र के स्थापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं, यदि बरिष्ठ सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जायेंगे एवं जाति प्रमाण पत्र देना नहीं पाया जाता है तो आपको नियुक्ति तत्काल पनाय से समाप्त की जावेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार -
 (दीप्ता तेलंग)
 उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
 भोपाल, दिनांक-18/6/2009

पू0क0एफ-1/16/2009/1/अडतीस
 प्रतिलिपि-

- 1. निज सचिव, गान् मंत्रीजी उच्च शिक्षा भोपाल।
- 2. महालेखाकार म040 ग्वालियर/भोपाल।
- 3. सचिव, म020 लोक सेवा आयोग इन्दौर।
- 4. आदुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल।
- 5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय (राजपत्रित शाखा) भोपाल।
- 6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा
- 7. संचालित प्राध्याप, शासकीय
- 8. संबंधित सिविल सर्जन/राज्य नुक्त अस्पताल अधीक्षक जिला
- 9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला
- 10. संबंधित उम्मीदवार श्री/कु0 सुकेटा नरसिंह शर्मा जी-611 (अधुन
 जे-105 सी-64, 4619 नमर 105-105)
- 11. संपुष्ट संचालक जनसंपर्क नंत्रालय भोपाल
- 12. आर्डर बुक


 अवर सचिव
 मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

93. श्री गहेन्द्र प्रसाद
गा. उपलपुरा पो. लोना (हनुमान)
जिला लखीमपुर।

गा. अस्तातोत्तर (हनुमानपुर)
(रस्तुका)

94. श्री शिवकुमार पाण्डे
अनूपुर रोड लखनपुर जिला -
लखनपुर।

गा. अस्तातोत्तर (हनुमानपुर)

95. श्री गहेन्द्र प्रसाद सिंह
मन्गी कुंड़ी निवासी नरस
एम-53 पूर्ण काशी की न्यायलियर

गा. अस्तातोत्तर (हनुमानपुर)

96. ✓ श्री नारायण सिंह
सी. ओ. पी. जलोके कुंआर (हनुमानपुर)
लीवर (हनुमानपुर) पिनकोड पो. पान

गा. अस्तातोत्तर (हनुमानपुर)
(हनुमानपुर) पान के पिनकोड

2/ मध्य प्रदेश वैश्विक सेवा (ग्लोबल) विद्यालय शाखा (भर्ती) नियम 1990 के नियम-22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीचीता पर होगी।

3/ नियुक्त प्रत्यागी को जिला विधिकरण के प्रेडिजल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र कार्यभार ग्रहण करने तक प्रस्तुत करना होगा।

4/ नियुक्तियों में अनुचित जाति/जनजाति/किस्लान के प्रत्यागियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है उक्त श्रेणी के प्रत्यागियों को उपस्थिति के साथ तत्काल अधिकारी का वाणि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5/ इन अधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवाओं की वर्तमान में लागू सामान्य नियमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश विधिक सेवा (ग्लोबल) की सामान्य शर्तों (नियम 1961 एवं मध्य प्रदेश वैश्विक सेवा (ग्लोबल) विद्यालय शाखा (भर्ती) नियम 1990 के अध्याधीन रहेंगे।

6/ पदभार ग्रहण करने तक आय एवं वैश्विक योग्यता संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ साथ प्रतियां अर्थात् पित्त करना होगा तत्पश्चात के 90 दिनों में मूल प्रमाणपत्र जांचित कर दिया जाएगा।

7/ यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थाई हैं तथा बिना कोई कारण बताए एक मह का नोटिस देकर अथवा एक मह का नोटिस देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार अधिकारी पर एक मह का नोटिस देकर अथवा एक मह का नोटिस/भत्ते का किराए पर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

8/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 28 जुलाई, 1994 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्वया नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा। शासकीय अर्थात् शासकीय विभागों/विभागों में कार्यरत अभ्यर्थी जो उपस्थिति के साथ प्रमाणपत्र अर्थात् प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9/ नामनिर्वाह अधिकारियों के परीक्षा कागज में परामर्शानुसार में
/स्थानान्तरण का कोई भी प्रयास शासकीय सेवा के अनर्हत ठहराये
आधार होगा ।

पञ्जाब के राज्यालय के नाम
आदेशानुसार

[Signature]
8-6-94

श्रीरामलाल शिखरी
उप सचिव,

1090 शासन, उच्च शिक्षा विभाग
दूरभाष नं०-556233

पुणे सं-1/144/93/ए-1/30 गणित 8 गोपाल, दिनांक 28 जून, 94
प्रतिलिपि-

1. विशेष अहासक सार्वजनिक राज्य मंत्री/मन्त्र सचिव, 1090 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, पंजाब लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनाएँ भेजी जा रही हैं।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा 1090 शासन।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालकालय 1090।
4. हेड ऑफिसर, 1090 रसायन विभाग।
5. संबंधित जिला शिक्षा संचालक अधिकारी 1090।
6. संबंधित कोषालय अधिकारी 1090।
7. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा 1090।
8. संबंधित प्रचारार्थ, 1090 शासन।
9. संबंधित प्रचारार्थ, 1090 शासन।
10. संबंधित अधिकारी 1090।

[Signature]
उप सचिव,

1090 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नामनिर्वाह/.....

- 4- यह नियुक्ति किसी भी जोर से एक माह का नोटिस अथवा उसके समय में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी ।
- 5- बंद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षा किया जा सकता है ।
- 6- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि § मास्टर्स डिग्री § के बाद की मान्यता प्राप्त उपाधि § यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है § प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- 7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

§ जी०पी०शितिवारी §
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल, दिनांक - 1 MAR 1987

सू० क्रमांक स्फ 1/32 /87/स-1/38,
प्रतिलिपि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल § 10 प्रतियों में §
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, महाविद्यालयीन शिक्षा.
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल.
- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर.

§ पी०एन०अरहास §
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग.



मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
आदेश

(11)

भोपाल, दिनांक 11/MAR/1987. 1987.

11/5/87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितीकरण 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एम-ए-6-30-86-एम/1/3098 राजपत्र [अज्ञात] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त नियमों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्थायक प्राध्यापक [नाम] से आगामी आदेश तक तत्कालीन विषय के स्थायक पद पर मध्य प्रदेश वैश्विक सेवा [महाविद्यालयीन शाखा] में 50 700-40-50-1300-असेलमेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के लक्ष्य अंकित महाविद्यालय [नाम] पर नियुक्त किया जाता है।

<u>पिता एवं पिता/पति का नाम</u>	<u>जन्म तिथि</u>	<u>महाविद्यालय जहाँ पदार्कित किया जाता है</u>
श्री 0 श्री कुमारी नीलमिता झा श्री आरम्बा श्री पी.एस.न.0 झा	25-11-1958	शासकीय हमीदिया कला वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, भोपाल
शासकीय हमीदिया कला वाणिज्य एवं विधि महाविद्यालय, भोपाल		

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पास जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र तत्यापन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति इस आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भरती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग.

// आदेश //

श्रीवास्तव, दिनांक (7-2-86)

क्रमांक एफ/ 211 /86/ए-1/38, मध्य प्रदेश नियुक्तियों का नियामतीकरण
नियम 1986 तथा मान्य शासन विभाग के प्राचल क्रमांक एफ-6-30-06-ए
[1] द्वारा मध्य प्रदेश राज्याभिषेक विभाग में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक
5-6-86 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत तदर्थक
प्राध्यापकों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों
की पूर्ति हेतु नियम 9[2] के अन्तर्गत निम्नलिखित को स्थापनापत्र स्व से आगामी
आदेश तक विद्यालय (H) के तहत प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेशीय शिक्षण
सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) में स्वसे 700-40-1100-50-1300 असेसमेंट 50-1603
के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में परीक्षा पर नियुक्त किया
जाता है। नियुक्त उम्मीदवार का चिक्करना संलग्न परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

2/- उपर्युक्त नियुक्त उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने
की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्रसत्यापन प्रतिवेदन समाधानकारक
नहीं पाया गया तो उनके नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

3/- उपरोक्त नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की चरित्रता स्थायी होने
पर कार्यरत तदर्थक तहायक प्राध्यापकों के नियामतीकरण में पात्र व्यक्तियों के नीचे
मान्य को आवेगी।

4/- यह नियुक्ति किसी भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसको स्वज
में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

5/- पद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षित
किया जा सकता है।

6/- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 2
वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री) के बाद को मान्यता प्राप्त
उपाधि (यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है) प्राप्त करना होगा
अन्यथा उनको आगे वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

निरन्तर... 2 ...


मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन-462004.

आदेश
=====

भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2005

क्रमांक एफ 1/30/2003/1/अद्वितीय : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से नियमित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर नेट या स्लेट या पी. एच. डी. की उपाधि अर्जित करने की शर्त पर दो वर्ष की परिबीधा उपाधि पर सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में उनके नाम के सम्मुख दशमि गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुये पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1.	2.	3.	4.
1.	श्री हीरालाल प्रजापति	अ. जा.	शा. महाविद्यालय, तबोधर (रीवा)
2.	कु. लक्ष्मी बरेलिया	-"	शा. आदर्श विज्ञान महा. ग्वालियर
3.	श्रीमती शीला मेघुटोप्पो	अ. ज. जा.	शा. विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
4.	श्रीमती आराधना कनेरिया {बर्मा}	अ. जा.	शा. एम. डे. एस्. महाविद्यालय, मिड
5.	श्रीमती प्रतीक्षा भारती {साबले}	-"	शा. बालक महा. रायसेन
6.	श्री संतोष उभोरे	-"	शा. महाविद्यालय, महाराजपुर.
7.	श्रीमती रीता बमनेला	-"	शा. पी. जी. महा. दमोह
8.	श्री दीना प्रसाद प्रजापति	-"	शा. महाविद्यालय, अनुपपुर
9.	श्री अनोज कुमार चट्टार	-"	शा. महाविद्यालय, बारासिबनी
10.	श्री दिनेश बौरासी	-"	शा. महाविद्यालय, मनासा
11.	श्री देवेन्द्र कुमार कोहटा	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, जुन्नारदेव
12.	श्री राकेश लाल टेगर	अ. जा.	शा. पी. जी. महा. जयोपुरकला
13.	श्री शिवप्रसाद उच्चौरिया	-"	शा. महाविद्यालय, डबरा
14.	श्रीमती ममता शाक्य	-"	शा. के. पी. एस्. महा. देवास
15.	श्री आत्माराम मालवीय	-"	शा. महाविद्यालय, पथरिया
16.	श्री पुष्पोत्तमदास शाक्य	-"	शा. महाविद्यालय, पिछोर
17.	श्री कोकसिंह दादोरिया	-"	शा. पी. जी. महाविद्यालय, दतिया.
18.	श्री अशोक बरुआ	-"	शा. होल्कर विज्ञान महा. इंदौर
19.	श्री कालूराम कानुडे	-"	शा. पी. जी. महाविद्यालय, रत्नाम
20.	श्री मुकेश कुमार जामों	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, डिंडोरी



1.	2.	3.	4.
21.	श्रीमती प्रमिला कोटी	अ. जा.	शा. होल्कर विज्ञान महा. इंदौर
22.	श्रीमती नीलू मालवीय	-	शा. नूतन कन्या महा. इंदौर
23.	श्री अश्व कुमार बोडाने	-	शा. पी. जी. महा. शाजापुर
24.	श्री जगदीश कुमार बाहने	-	शा. महाविद्यालय, परासिया
25.	श्रीमती सुनीता सिंह	-	शा. पी. जी. महा. मुरैना
26.	श्री संदीप कुमार गोहर	-	शा. महाविद्यालय, बहुबाह
27.	श्री विनोद कुमार वर्मा,	-	शा. महाविद्यालय, कुशी [धार]
28.	श्रीमती नंदा चौधरी	-	शा. बी. जी. महा. महु
29.	कु. सुमन प्रभाकर,	-	शा. पी. जी. महा. टीकमगढ़
30.	श्री दिनेश कनाड़े	-	शा. पी. जी. महा. सैधवा
31.	कु. नीतू प्रिया लचौरिया	-	शा. पी. जी. महा. देवरी
32.	श्री राहुल सिंह	-	शा. महाविद्यालय, आरौन - गुना
33.	श्री सुनील कुमार स्क्रिबरवार	-	शा. पी. जी. महा. झाबुजा
34.	श्री ज्ञानसिंह उच्चारिया	-	शा. महा. बालाजी मिहोना-भिंड
35.	श्री सोबरन सिंह निगम	-	शा. महा. मुंगाबली-अशोकनगर
36.	डॉ. आराधना झिनुना	अ. ज. जा.	शा. के. पी. एस. महा. देवास
37.	कु. नमिता बेन्डे	-	शा. होल्कर विज्ञान महा. इंदौर
38.	श्री राजीव कुमार भक्षारिया	अ. जा.	शा. महा. बीनागंज - गुना
39.	श्री आनंद कुमार सिंह	-	शा. महाविद्यालय, राधोगढ़ - गुना
40.	कु. स्मिता वर्मा	-	शा. महाविद्यालय, देवरी-सागर
41.	श्री कुंदनसिंह सोनगरा	-	शा. महाविद्यालय कन्नौद- देवास
42.	कु. मनीषा शाक्य	-	शा. आदर्श विज्ञान महा. र्वालिबर
43.	कु. मोनिका सान्वाल	-	शा. महाविद्यालय, नेपालनगर
44.	श्री सागर सिंह ठाकुर	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, जावरा-रत्नाम
45.	श्री हरीश कुमार अम्ब,	अ. जा.	शा. पी. जी. महाविद्यालय, गुना
46.	श्री प्रज्ञांत बेलवंदी	-	शा. महाविद्यालय, भुजा बिठिया
47.	कु. रेखा नागवंशी	-	शा. महाविद्यालय, बड़नगर-उज्जैन
48.	श्री सुनील कुमार दिबाकर	-	शा. महाविद्यालय, उमरिया
49.	श्री डेविड स्वामी अमरोज	अ. ज. जा.	शा. पी. जी. महा. बड़वानी
50.	श्री लुकदेव प्रसाद अहिरवार	अ. जा.	शा. महाविद्यालय निवाड़ी-टीकमगढ़
51.	श्रीमती पुष्पा म्कबाने	-	शा. पी. जी. महाविद्यालय, धार
52.	कु. ललिता गोयल	-	शा. पी. जी. महाविद्यालय, धार
53.	श्री प्रकाश सोलंकी	अ. ज. जा.	शा. पी. जी. महा. शाजालपुर
54.	कु. मोना मरकाम	-	शा. विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
55.	श्री संदीप बिक्टर	-	शा. महाविद्यालय, हरदा

[Handwritten signature]

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेनजीर
गोखले छात्रावास भवन, जहाँगीराबाद भोपाल

क्रमांक / 1324 / 2017

भोपाल, दिनांक 01/09/2017

आमंत्रण पत्र

Ku. Neeha Sharma
D/o Kailash Sharma
B-42 Bheesham Kunj
Kamla Nagar, Kotra
Bhopal

महाविद्यालय में जनभागीदारी के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग में अतिथि विद्वान (बायोटेक्नोलॉजी) के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन पत्र के आधार पर "चयन समिति" द्वारा आपका नाम अनुशंसित किया गया है। आप दिनांक 10/09/2017 तक अपनी उपस्थिति बायोटेक्नोलॉजी विभाग में दें।

निर्धारित समयावधि तक कार्य पर उपस्थित न होने पर गुणानुक्रम सूची में से अगले अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जायेगा।

संयोजक
जनभागीदारी समिति


प्राचार्य
शा. विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय
बेनजीर, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक- 18/6/2008

1/97/2008/1/अडसीस:-राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि पर सहायक प्राध्यापक, भूगोल के पद पर वेतनमान लघु 13000 में उनके नाम के समूह वर्याय गये महाविद्यालय में कार्यभार सफल करने से नियुक्त करने हुए पदस्था किया जाता है -

क्र	नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
2	3	4	
1	श्री विजय सिंह राठी	अन्य पिछड़ा वर्ग अ0ज0	शासकीय महाविद्यालय लहार जिला-भिन्ड शासकीय महाविद्यालय भुजा बिछिया, मण्डला
2	श्री परान्त उहाटे	अन्य पिछड़ा वर्ग अ0ज0	शासकीय महाविद्यालय अमानमंज
3	श्री सुनीलचामू दिग्गकार्ता	अन्य पिछड़ा वर्ग अ0ज0	विजयेश्वर शासकीय महाविद्यालय गुरार
4	श्री शतिलास इरावर	अन्य पिछड़ा वर्ग अ0ज0	शासकीय महाविद्यालय महिदपुर, जिला-उज्जैन
5	श्री जदतु राणी	अन्य पिछड़ा वर्ग अ0ज0	शासकीय महाविद्यालय महाविद्यालय जबलपुर
6	श्री गणेश मोहस	अन्य पिछड़ा वर्ग अ0ज0	शासकीय महाविद्यालय शाहपुरा जबलपुर
7	श्री मेहरसिंह मुशाल्या	अन्य पिछड़ा वर्ग अ0ज0	शासकीय महाविद्यालय हाटपीपल्या, जिला-देवास

2 नियुक्त उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार सफल करने समय प्रस्तुत करना होगा।
इन नियुक्तियों से मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के अधिनियम 1994 में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण सञ्चालन है।

दिनांक

// 1 2 //

पु. क्रमांक 3006/3079/मशित/स्था/राज/86, भाीपाल, दिनांक 28.6.86

प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भाीपाल
2. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय, मध्य प्रदेश ।
3. माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक ।
4. अतिरिक्त संचालक-1, 2 एवं 3, महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश, भाीपाल एवं सभी संभागीय अतिरिक्त संचालक ।
5. संबंधित अधिकारी,

की ओर सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित ।

[Handwritten Signature]

डॉ. सुरेश चंदी, 28686

संयुक्त संचालक,

महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश.

प्राचार्य/

प्रधानमंत्री निकाजीय

मशित

संयुक्त संचालक

मध्य प्रदेश

महाविद्यालयीन शिक्षा

महाविद्यालयीन शिक्षा संवर्धनालय
मध्य प्रदेश

// जा दे रा //

क्र. सं. 3005 /2873/मशित/स्था/राज/86, निर्धारित शैली विधायक के तदर्थ सहायक प्राध्यापकों की सेवा उनके वर्तमान महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा समाप्त की जायेगी तथा उनके सामने वर्गिए गए महाविद्यालय के प्राचार्य संबंधित को उनकी उपस्थिति के दिनांक से पुनर्निश्चित है :-


- | तदर्थ सहायक प्राध्यापक का नाम एवं महाविद्यालय का नाम | महाविद्यालय का नाम जहाँ पुनर्निश्चित दी जाना है |
|---|---|
| 1. कु० सोमाली गुप्ता,
शासकीय कन्या महाविद्यालय,
रायगढ़ | शासकीय ज्ञान एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, धिलासपुर |
| 2. कु० आशा जाजू,
शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा | शासकीय महाविद्यालय, नीमच |
| 3. श्री प्रशान्त कुमार मिश्रा,
शासकीय महाविद्यालय, नीमच | शासकीय महाविद्यालय, रामपुरा |
| 4. श्री आत्मा सिंह कुशावाहा,
शासकीय महाविद्यालय, मुंगावली | शासकीय महाविद्यालय, दतिया |
| 5. कु० रोशन बेन्जामिन लान,
शासकीय महाविद्यालय, बड़वाह | शासकीय के०पी० महाविद्यालय, देवारा |
| 6. कु० प्रज्ञा रावत,
शासकीय नर्मदा महाविद्यालय,
होशंगावाह | शासकीय सम०रत्न०बी कन्या महाविद्यालय,
भोपाल |
| 7. कु० सुचित्रा गुप्ता,
शासकीय महाविद्यालय, बीना | शासकीय नर्मदा महाविद्यालय,
होशंगावाह |
| 8. श्रीमती कल्पना झा,
शासकीय महाविद्यालय, जतारा | शासकीय महाविद्यालय, बीना |

महाविद्यालयीन शिक्षा आयुक्त
आदेशानुसार
डॉ. 0 रत्न 0 सी 0 व
सयुक्त / पल
महाविद्यालयीन शिक्षा

शर्मा/

115/

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम में
तथा अध्यक्षता में


12/12/19
अनुराग मिश्रा

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 12/12/2019

सू. क्रमांक एक 1-88/2019/38/1
प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, मातृशालीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वाथियर,
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल,
6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल,
8. संबंधित संभागीय चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.,
9. संबंधित जिला कोषालय, अधिकारी, म.प्र.,
10. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर लेख है कि संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यभार संपन्न करने के उपरान्त विभागीय वेबसाईट पर जनकारी अपलोड करवाना सुनिश्चित करें,
11. संबंधित.....
12. गाई फाईल,
की ओर सूचनाएं एवं पालनायें।


अनुराग मिश्रा

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

Self At.
Anurag Mishra

सत्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
सहायक, अर्थशास्त्र

:- आदेश :-

आयोजक, दिनांक 1/2/2019

क्रमांक एक 1-88/2019/38/1 : राज्य शासन द्वारा राज्यभर में शिक्षा के क्षेत्र में कार्यवाही के लिए सहायक पर्यवेक्षक के पद पर पारस्परिक चयन क्र. 57, 2019 के द्वारा अकादमिक स्तर 10 से ऊपर के उम्मीदवारों के समस्त अभिलेख महाविद्यालयों में जांचवाली आदेश क्र. 48/2019 के अंतर्गत दिए गए दिनांक 1/2/2019 पर नियुक्ति किया जाता है -

क्र.	लो.से.आ. की घयन सूची का क्रमांक घयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।
1	1/2019	सनेल कुमार चौकरी, रामबहाग कैलाशपुर विद्वान (मध्य प्रदेश) पिन कोड 474003	राज्यपाल शिक्षा शासकीय कक्षा महाविद्यालय, विनायक, Dist- विद्वान
2	3/2019	प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जवाहर जी मंदिर के पीछे, जवाहर जी बाई, महाराजपुर, धन. महाराजपुर, मंडला जिला मंडला	शासकीय महाविद्यालय, अंतर्ग्राम Dist- मण्डला
3	4/2019	बी कान्त मिश्र, राम /पो- राजाधी तहसील हनुमन्त यान साहपुर जिला रोवा (मध)	शासकीय महाविद्यालय, कोयला Dist- अनूपपुर
4	5/2019	मनीज सिंह यादव, राम व पोस्ट- सायबत, धाना- जमानिया, जिला- साजीपुर, उत्तर प्रदेश- 232331	शासकीय महावि. जय, मकरानिया बुजुर्ग, Dist- सागर
5	8/2019	अरवि कुमार द्विवेदी, राम कैला पोस्ट अमिनिया यान गढ़ तहसील मनमका जिला रेवा मध्य प्रदेश	शासकीय राज्य राधे स्मृति महाविद्यालय, राधे, Dist- राधे
6	9/2019	डॉ. अशोक सिंह नरवरिया, 122 न्यू मरसिह नगर धार शहर का माका हाजिर खातिया 474003	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मुरैना, Dist- मुरैना
7	10/2019	मुकेश कुमार शाह, बी 27 / 7 वसंत विहार कॉलोनी, सत वातीनाथ उद्यान के सामने उज्जैन, मध्य प्रदेश	शासकीय महावि. जय, कायथा, Dist- उज्जैन
8	13/2019	अचंड तिवारी, 189, कुन्दाधन गॉर्टन, स्कीम 140 के पास, पिपलियाताना, इंदौर (म.प्र.)	शासकीय कृष्णाजीराव पवार स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवास, Dist- देवास

Self AH
PDE-h

123	136/2019	कलु विश्वकर्मा, बालमुन्नारीन किल्ला सगर एरिया जिला छायापुर मध्य प्रदेश	राजकीय अटो महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - जयपुर
124	137/2019	समील साह, 59/70 स्टेट बैंक कॉलोनी सगर एरिया जयपुर	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - जयपुर
125	138/2019	समील साह, 01/105, पटीप अकादमी सामल कॉलोनी पादसीकर चौक इंदौर म.प्र.	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - सगर
126	139/2019	समील साह, मुक्ताम झुमुरा नं. 4 पौराट झुमुरा नं. 11 तहसील पश्चिम जिला छिंदवाड़ा	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - बैतूल
127	140/2019	परीशद अरिया, दुलाई कॉलोनी वाई नं 4 सिवजी के मंदिर के पास राजमड 465661	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - उज्जैन
128	141/2019	अरुण अरिया, 5/4, सती सत्यवा नगर इंदौर	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - झुमुरा
129	143/2019	मुकेश सिंह चौहान, सम बडी हीरापुर पोस्ट उवाकत तहसील जोबट जिला अजीमपुर	राजकीय एटोड चण्डरीकर महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - झुमुरा
✓ 130	144/2019	मुकेशजी साहू, चण्डरीकर वाई इटारसी रोड तरुण रेजमरी के पीछे सडर बैतूल . मध्यप्रदेश 460001	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - राजापुर
131	145/2019	सुरेश सिंह, एच आई जी 176, फेज 5, अयोध्या नगर औधल, पिन कोड 462041	राजकीय महाविद्यालय, पिपलवावा, Dist - देवास
132	146/2019	समपति रावत, सम वास टैमिन टोक पोस्ट सोविट मड तहसील हजूर रोड म040	राजकीय महाविद्यालय, टोटा, Dist - रघीपुर
133	147/2019	दीपक शर्मा, जी 3/104 1100 कवाटरी औधल	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - उज्जैन
134	148/2019	किर्ति अरुण, वाई नंबर 38 49 - डिपो रोड हीरापुर जिदिश	राजकीय महाविद्यालय, झुमुरा, Dist - राजम
135	149/2019	सोम कि, कृष्ण कुज न्यू सुरेश नगर घाटीपुर स्वामिनार मध्य प्रदेश	राजकीय महाविद्यालय, बाहोद, Dist - आगर माया
136	150/2019	पुष्प शर्मा, ह नो 322 सिव मंदिर कॉलोनी पाठर बुजुर्ग बैतूल मप्र 460001	राजकीय मुलसी महाविद्यालय, अनूपपुर, Dist - अनूपपुर

Se H B H.
PDS

1/29 202/2-1/20 ... 1966 तथा ... 5/6/66 में ... 700-40-100-50-1300-...

पत्रावली एवं प्रिण्ट/प्रति का नाम	तारीख	महाविद्यालय जहाँ प्रकाशित किया जाता है
<p>143- हुमादी रपत फातमा आरमा की काल जालर</p> <p>शालीय महाविद्यालय, गुजरात</p>	<p>28-4-1962</p>	<p>शालीय महाविद्यालय, गुजरात</p>

2- उपरोक्त विवरण ...

3- उपरोक्त विवरण ...

4- यह नियुक्ति क्विटी भी जोर है ...

5- • बंद का नाम तथा वेतनमान शासन द्वारा क्विटी भी तमय पुनर्जाता जा सकता है ।

6- उपरोक्त नियुक्ति समकित को इस आदेश के जारी होने के दिनांक के वर्षों के अन्तर रनातकोत्तर उपाधि ; मारदा क्विटी ; के बाद की मारका उपाधि ; यदि वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है ; प्राप्त करनी होगी अन्यथा उनको प्राये वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

7- नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्यागियों के संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से जारी आदेशानुसार,

§ जी.एन. शर्मा §
उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, दिनांक _____ 198

सू० क्रमांक स्फ 1/ 27 /87/ए-1/38, प्रतिनिधि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, आराकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल §10 प्रतियों में ।
- 3- संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संवाकक, महाविद्यालयीन शिक्षा,
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की ओर । प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
- 5- सचिव, म०प्र० शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, म०प्र० इन्दौर,

[Signature]

§ जी.एन. शर्मा §
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
भोपाल

Copy attested
Prof./Asst. Prof.
L.A.B. Girls College, Jabalpur

- 4- यह नियुक्ति किसी भी जॉर से एक माह का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए है।
- 5- एक माह का वेतन दिया जाएगा जो कि नए लेखी है।
- 6- यदि वह माह का वेतन नही मिलेगा तो नए लेखी किसी भी तरह पुनर्निर्देशित किया जायेगा।
- 7- उपरोक्त नियुक्ति के लिए जो भी जॉर के वाली होने के लिए है।
- 8- सभी के अन्दर रजिस्ट्रार/अधीक्षक प्रशासक के माध्यम से।
- 9- प्रशासक के माध्यम से।
- 10- प्रशासक के माध्यम से।
- 11- प्रशासक के माध्यम से।
- 12- प्रशासक के माध्यम से।
- 13- प्रशासक के माध्यम से।
- 14- प्रशासक के माध्यम से।
- 15- प्रशासक के माध्यम से।
- 16- प्रशासक के माध्यम से।
- 17- प्रशासक के माध्यम से।
- 18- प्रशासक के माध्यम से।
- 19- प्रशासक के माध्यम से।
- 20- प्रशासक के माध्यम से।

संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
 No. 602/87
 दिनांक 14/07/87

वर्ग	आय	प्रति
1	2	3
4	5	6

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से यह जादेशा नुसार,

Jantun
 14/07/87
 Principal,
 Govt. Medical College,
 Bhopal

डी.पी. शर्मा
 उपायुक्त,
 मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
 भोपाल, दिनांक 4 MAR 1987

पृ० क्रमांक एक 1/27 /87/ए-1/38

प्रतिनिधि :-

- 1- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय
- 2- आयुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल
- 3- संबंधित क्षेत्रीय जतिविभागाध्यक्ष, महाविद्यालयीन शिक्षा
- 4- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक की जॉर। प्रथम वेतन प्राप्त करने के पूर्व स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
- 6- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर

संलग्नक प्रो. पी. एन. महापात्र
 दिनांक 14/07/87

Sharma
 डी.पी. शर्मा
 उपायुक्त,
 मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भारत, 11 MAR 1967, 1967.

क्रमांक एफ 1/ 27 /87/ए-1/38 - मध्य प्रदेश राज्य नियुक्तियों का नियमितकरण
विभाग, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के प्राचन क्रमांक एफ-ए-4-30-44-एन[1]
क्रमांक 8090 राजपत्र [असाधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/4/86 में प्रदत्त
नियमों का उपयोग करते हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्थायक प्रशासक
को स्थानापन्न स्व से आगामी आदेश तक श्री. विद्याधर नियम के अंतर्गत
प्रशासक, बाद पर मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा [महाविद्यालयीन माता] में एड 700-40-
1100-50-1300-अलेक्जेंडर-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के लिये अंशित महाविद्यालय
में वरिधीयता पर नियुक्त किया जाता है ।

आदेशी एवं पिता/पति का नाम	पुनर्गति	महाविद्यालय कहाँ वरिधीयता किया जाता है
श्री. विद्याधर		
श्री. विद्याधर	1-7-1960	शासकीय महाविद्यालय, इटावा
श्री. विद्याधर		
शासकीय महाविद्यालय, इटावा		

- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्प्राचन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाए जाने की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र तत्प्राचन प्रतिवेदन, समाधानकारक नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति पिना पूर्व रूपना के समाप्त की जा लेंगी ।
- उपर्युक्त नियमों के अधीन नियुक्त किया गया अधिकृत इत आदेश की तारीख से ही नियमित नियुक्ति का मान होगा और उसे उन व्यक्तियों के पीछे रखा जाएगा जो इन नियमों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत भारतीय नियमों के अनुसार नियुक्त हुए हैं ।

डा. यशवंत प्रभाकर, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिवनी मण्डल :-
 सिवनी, दिनांक 18/7/86.

40

--: प्रमाणपत्र :-

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती/श्री राजेश श्रीवास्तव -
 के पद पर नियमित

महाविद्यालय में उद्योग महायुक्त प्राध्यापक - ~~अतिरिक्त~~ के पद पर नियमित

श्रीमती/श्री का प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्रीमती/श्री राजेश श्रीवास्तव -
 के पद पर नियमित

1468/सिवनी/स्नातकोत्तर/राजेश/86 दि. 12-3-86
 2106/1667/सिवनी/स्नातकोत्तर/राजेश/86 दि. 17-4-86

दिनांक - 16-3-86 - से	दिनांक - निरन्तर - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक
दिनांक - - - - - से	दिनांक - - - - - तक

Handwritten signature
 12/7/86
 Principal
 Govt. P. G. College
 SIVNOLI


आर.के.वाटव

DR. A. R. K. WADVA
 PRINCIPAL
 Govt. P. G. College
 सिवनी मण्डल
 सिवनी मण्डल
 18/7/86

4/ पत्रभार ग्रहण करते समय प्रत्येक एवं पेशगीतक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं जहां प्रतियोगिता सत्यापित करना होगा तत्पश्चात् के पश्चात् मूल प्रमाण पत्र वापिस कर लिया जायेगा ।

5/ नियुक्त एवं नये अभ्यर्थियों को दिनांक 2.12.96 तक व्यवस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा । शा.कीय अर्थात्कक्षीय विभागे /निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों को उपस्थिति के साथ नियोजनका का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

राजप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



श्री 0 डी 0 अज्जान
उप सचिव

मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 7-11-1996.

मध्यप्रदेश २९-1/135/96/२-1/30

प्रतिलिपि :-

1. महाविद्यालय, मध्य, स्वातिपर ।
2. सचिव, मध्य लोक सेवा आयोग इन्दीर ।
3. आचार्य, उच्च शिक्षा मध्य, भोपाल ।
4. संबंधित क्षेत्रीय उपायुक्त भोपाल, उच्च शिक्षा मध्य ।
5. संबंधित प्रान्त, भारत मध्य मध्य ।
6. संबंधित प्रान्त ।


उप सचिव

मध्यप्रदेश, उच्च शिक्षा विभाग

उपायुक्त///

=====

ए.पी. प्रवेश का ल
 उच्च शिक्षा विभाग
 जयपुर, राजस्थान, भीषाल
 =====

// तारीख //

भीषाल, दिनांक 7-11-1986.

क्र.ए.ए.ए-1/135/86/ए-1/30- 5090 लोक सेवा आयोग में आयोजित विभिन्न
 शिक्षा अनुसंधान आदि/व्यवसायों के उम्मीदवारों को तारीख 24 से 26 तक सत्यापन
 तथ्य संबंधित प्रश्नार्थकों पर तथ्य के तथ्य लोक सेवा आयोग के सत्य प्रस्तुत
 जा स प्रमाण पत्र की जांच की, तथा साथ में अध्यापक प्राध्यापक/विभागत के पत्र
 पर वेतनमान अथि 2200-75-2300-100-4000 में उनके नाम के सत्य सत्यापन को
 नडा। तथ्यों में प्रमाण अथि के उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक में नियुक्ति
 किया जाता है। यह नियुक्तियां पूर्णतः तस्थार्थक हैं तथा संबंधित के कठिन
 सत्यापन और जांच प्रमाण पत्र सत्यापन में यदि कोई विपरीत तथ्य सामने
 आता है तो किसी भी तथ्य विना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा
 सकेगी। इनके निर्धारित अधिक कठिन सत्यापन प्राप्त होने तथा आदि प्रमाण पत्र
 सत्यापित होने पर विधिवत जारी किए जाएंगे :-

=====
 नाम क्र. नाम तथा वर्तमान पता स्थान जहाँ पदस्थ किया जाता है

1.	2.	3.
5.	श्री सुरेश मिश्र, दिल्लीय जेवर, क्राफ्ट रोड, पटना।	गा.सं. मंडा.0 सेलाना {रतला}
4.	50 अंजली तहारे गारा- श्री ज्योती.0 तहारे, जेवनार्थ वार्ड- पाण्डुरना {विंदवाडा}	गा.सं. मंडा.0 जुन्नारदेव {विंदवाडा}
7.	श्री तरुण सिंह खंडेली, गा.सं- बंधा निवा. पो. - लोयतरी, तडलील कुर्मी, पार	गा.सं. मंडा.0 दलीराजदरा {कुर्मी} गा.सं. मंडा.0 कुर्मी {पार}
3.	श्री विष्णु प्रताप बैरागी, गा.सं- कटरपुरा, पो. बानली, जिला- देवास	गा.सं. मंडा.0 खंडोवाडा {बसोना}

श्री. ल.एस. कॉलेज सिरोही
 321/37

1.	2.	3.
9.	श्री विठ्ठल कुमार देवनाथिन, ब. नं. - 164 आतापी, पूर्ण भागपुर मुंझापी रोड, जयपुर	शासक महाक सुभाषिणी § डिला §
10.	श्री लीला कुमार लडोवा, पारा - श्री परदास लडाभिया, इज्जत कालोनी, गोले का बंधिर खातिपर	शासक महाक गणेशपुर § सुरना §
11.	श्री लक्ष्मीनारायण नारायण, पारा श्री अर. जी. वर्मा, बारेस्ट, ताकनाम कीवालय कालोनी डिवाडा	शासक महाक पराशिता § डिवाडा §
12.	श्री प्रभाकर वाख्य पारा - श्री लक्ष्मी सिंह तैबरार, श्रीमर नला कोजर, आर. के. पुरी पुराड, खातिपर	शासक महाक गैन्ड्राड § तरुजा §
13.	श्री होतल सिंह वाख्य, पारा श्री जानकीवरण जील, सिकन्दर डम्पु मुलिशा के पीठे ताकर खातिपर	शासक महाक अंबिकापुर
14.	श्री मनोज कुमार खत्री, खान नं. - 6, गामपुरा, गामपुर	शासक महाक डिडोरी § डिला §
15.	श्री रामजीपाल खेटे, पारा ग्राव-बतरंगा, पो. - देवरघाटा व्हापा - डमरा, जिला - चिलासपुर	शासक महाक चिरपिरी § § तरुजा §
16.	श्री रामेन्द्र कुमार गुजराहिया, 259 क्रि. कालोनी नीमव,	शासक महाक सुभाषिणी § डिला §

2/ निवृत्त प्रत्यागियों को जिला विधिकालय के रेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यालय प्रेषण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3/ निवृत्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विजायत श्रेणी के प्रत्यागियों के आस्था संबंधी प्राश्नानों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के प्रत्यागियों की उपस्थिति के तहत सहायक अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भोपाल, दिनांक 4 MAR 1987, 1987.

क्रमांक स्कू 1/34 /87/ए-1/30 - मध्य प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण
नियम, 1986 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एन-ए-1-30-86-एन[1]
द्वारा मध्य प्रदेश शासन (अंतराधारण) में प्रकाशिता अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिसूचियों का उपयोग करते हुए तदर्थ न के अतिरिक्त निम्नलिखित तद्यायक प्राध्यापक
को स्थानापन्न एवं तै आगामी आदेश तार - दिनांक - दिवस के तद्यायक
प्राध्यापक पद पर मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा में महाविद्यालयगत शाखा में रु 700-40-
100-50-1300-जतेन्मेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के तद्यायक जति महाविद्यालय
में परिलीक्षा पर नियुक्त किया जाता है।

सूचकांक एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ पद का नियुक्त किया जाता है
ता 0		
93. श्रीमती संगोला गुप्ता पत्नी श्री रघुजी 0 गुप्ता	7-7-1939	शासकीय महाविद्यालय, पन्ना
शासकीय महाविद्यालय, पन्ना		

- उपरोक्त नियुक्ति उनके चरित्र तदर्थान्तः प्रत्येक के स्थान पर करके दिये जाने की प्रत्याशा में की जाती है। यदि उनका चरित्र तदर्थान्तः प्रतिवेदन, समाधानकारी नहीं पाया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
- उपरोक्त नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्तित्व इस आदेश की तारीख के ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और जो उन व्यक्तियों के नोटे रजिस्ट्रार या प्रमुख अधिकारी के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व तदर्थान्तः मरती नियुक्तियों के अनुसार/दिनांक में हैं।

... प्रमाणित किया ...
... का ...
... का ...

3- उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति को इत आदेश के जारी होने के दिनांक से आठ वर्षों के अन्दर स्नातकोत्तर उपाधि \S मास्टर्स डिग्री \S के धाद्य की मान्यता प्राप्त उपाधि \S धाद्य वर्तमान में ऐसी उपाधि उनके पास नहीं है \S प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनको अपने वेतन वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी ।

7- अभ्युक्ति में उल्लिखित जाति/अनुलिखित जनजाति के प्रत्याशियों के आरक्षण को ही प्रायोजनों का ध्यान रखा गया है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

\S पी०पी०सिंहवार \S
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

भोपाल, दिनांक 1 MAR 1957 1957.

11 मार्च 1957 / 34 / 27/ए-1/30.

प्रतिनिधि :-

- 1- ...
- 2- अनुभव, महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल \S 10 प्रतिवर्षों में \S
- 3- संबंधित के लिये अतिरिक्त संवालय, महाविद्यालयीन शिक्षा,
- 4- संबंधित सदस्य सहायक प्राध्यापक की ओर । मुख्य वेतन प्राप्त करने के लिये
- 5- स्नातकोत्तर प्रदान करने के लिये आवश्यक है ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल,
- 7- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश.

\S पी०पी०सिंहवार \S
उप सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

कार्यालय, प्राचार्य, श्री नीलकण्ठ खर शास० स्ना० महाविद्यालय, लखवा (मध्य०)
क्रमांक 1532/स्था।८२ दिनांक १५-६-८२

कार्यालयीन आदेश

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक स्फ १८३
७०१ई०।२०, दिनांक २३-६-८२ के अनुसार प्राचार्य का प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत
श्री संजय तेलंग को जीवशास्त्र तदर्थ व्याख्याता के पद पर नियुक्ति, कार्यभार
ग्रहण करने की तिथि से तदर्थ रूप से अस्थायी तौर पर ६ माह की अवधि
अथवा अन्य आदेश, जो भी पूर्व में हो, तक के लिए रु० ७००-१६०० के वेतनमान
में न्यूनतम मूल रूपसे ७००। - (शासन के नियमानुसार भरे अतिरिक्त) पर
नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं बिना किसी पूर्ण
सूचना के समाप्त की जा सकती है। दिनांक २३।६।८२ तक आवश्यक रूप से
अना कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त माना जाएगा।
कार्यभार ग्रहण करते समय अने समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं जिले के सिविल सर्जन
द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

Sel
प्राचार्य

श्री नी. शा. स्ना. महा
लखवा ४५०-००१

पृष्ठंकन क्रमांक 1532/स्था।८२

दिनांक १५-६-८२

प्रतिलिपि: श्री संजय तेलंग ३१ साल थ टी० टी० नगर भोपाल।

- (२) सचिव, महाविद्यालयीन शिक्षा, शिक्षा संचालनालय, भोपाल
- (३) लेखापाल, श्री न०शास० स्ना० महा०, लखवा।
- (४) स्थापना।

S. Khuram
प्राचार्य

श्री नी. शा. स्ना. महा


लखवा ४५०-००१

अत्रे।

(2)

4. पदभार ग्रहण करते समय संबंधित प्राचार्य को आयु एवं शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं उसकी छायाप्रतियाँ सत्यापित कराकर जमा करना होगा। सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. शासकीय सेवा में नियुक्ति पश्चात सभी शासकीय सेवक स्वतः ही शासन के सभी नियम/निर्देशों, सेवा शर्तों से आबद्ध हुए माने जाते हैं तथा इनकी सेवाएँ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अधीन रहेंगी।
6. इस नियुक्ति पर वित्त विभाग के परिपत्र 9/3/2006/नियम/चार, दिनांक 17.9.2006 के अनुसार दिनांक 1.1.2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों को परिभाषित अशदान पेंशन योजना लागू होगी।
7. उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंसेवक निरस्त माना जावेगा। शासकीय/अर्धशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियुक्ति का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(वीणा तैलड़ा)
उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

फूक0एफ-1/101/2008/1/अडतीस भोपाल, दिनांक-13/2/2009
प्रतिलिपि-

1. निज सचिव, मान मंत्रीजी उच्च शिक्षा भोपाल।
2. महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग इन्दौर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल।
5. अति० संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय (राजपत्रित शाखा) भोपाल।
6. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा.....।
7. संबंधित प्राचार्य, शासकीय.....।
8. संबंधित सिविल सर्जन/सह० मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला.....।
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला.....।
10. संबंधित उम्मीदवार श्री/कु० श्रीमती सरला कटेल.....।
11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क मंत्रालय भोपाल
12. आदेश बुक


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक-13/2/2008

क्रमांक-1/101/2008/1/अडतीस-राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर सहायक प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र के पद पर वेतनमान रूपये 8000-275-13500 में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान
1	2	3	4
1.	श्रीमती सरला पटेल	अन्य पिछड़ा वर्ग	शासकीय नर्मदा महावि० होशंगाबाद
2.	कु० प्रतिमा बिसेन	अन्य पिछड़ा वर्ग	शासकीय पी०जी० महाविद्यालय बालाघाट

2. नियुक्त उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय मेडीकल बोर्ड का स्वस्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

3. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबन्धों का और अधिनियम के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

11

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 20/09/2011

क्रमांक एफ 1-43/2011/38-1 : राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य (बैकलॉग) के पद पर वेतनमान रुपये 15600-39100+ AGP 6000 में दो वर्ष की परिवीक्षा पर उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

स. क्र.	पद	आवेदक का नाम व पता	श्रेणी	पदस्थ महाविद्यालय का नाम
01	06	श्रीमती दोसा बरेड़े, घ.न. 225 बी-सेक्टर, सर्वधर्म कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल - 462042	अ.वि.क	शासकीय महाविद्यालय, कन्नौड़ जिला देवास।
02	08	श्री लायक सिंह बसल, 48-पातरी का पुरा, पोस्ट - नरहेला, तहसील - जौरा, जिला गुरीना - 476221.	अ.वि.क	शासकीय महाविद्यालय, करैरा जिला शिवपुरी।
03	09	श्री राजेश कुमार शेषकर, C/o श्री बी.आर.निरापुरे, लिक रोड सदर, गार्ग मंगल भवन के पास, सदर बैतूल - 460001.	अ.वि.क	शासकीय महाविद्यालय, बैतुलदेही जिला बैतूल।
04	11	श्रीमती शिवाली देलवार (शाक्य) 1013/3, रोशन बाग, ऐशबाग, भोपाल - 462010.	अ.वि.क	शासकीय बेनजीर महाविद्यालय, भोपाल।

2/ चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की चयनित मुख्य सूची के अनुसार रहेगी।

3/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम 1990 के नियम 22 के अनुसार यह नियुक्तियां पदभारग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगी।

नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर.....2

4/
A. H. S. S. S.
प्राध्यापक
शा. विज्ञान एवं वाणिज्य
महा. विद्यालय बेनजीर, भोपाल

के परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2006/नियम/चार, दिनांक 17 अक्टूबर, 2006 के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेशन) नियम, 1976 लागू होंगे। दिनांक 01.01.2005 के पश्चात नियुक्त होने वाले शासकीय सेवकों के लिए वित्त विभाग के उपरोक्त निर्देशानुसार अंशदान पेशन योजना लागू होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

B. Bidwar

(सी.बी.पट्टवार)

उप सचिव

म.प्र.शा., उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 20/09/2011

पृ.क्र एफ 1-43/2011/38-1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, गाननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुंडा भवन, भोपाल।
3. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर।
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (म.प्र.)।
6. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
7. संबंधित जिला चिकित्सा अधिकारी (म.प्र.)।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी (म.प्र.)।
9. संबंधित प्राचार्य की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया यह सुनिश्चित करें कि चयनित सहायक प्राध्यापक यदि पूर्व से शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो विधिवत संबंधित संस्था से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना पर पदभार ग्रहण करेंगे। पदभार ग्रहण की सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित
11. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
गार्ड फाईल।

B. Bidwar

उप सचिव

म.प्र.शा., उच्च शिक्षा विभाग

Attested
[Signature]


प्राध्यापक सह प्राध्यापक
शा. विज्ञान एवं वाणिज्य
हा. विद्यालय बेनजीर, भोपाल

1.	2.	3.	4.
21.	श्रीमती प्रमिला कोरी	अ. जा.	शा. होल्कर विज्ञान महा. इंदौर
22.	श्रीमती नीलु मालवीय	-	शा. नूतन कल्या महा. इंदौर
23.	श्री अरुण कुमार बोडाने	-	शा. पी. जी. महा. शाजापुर
24.	श्री जगदीश कुमार बाहने	-	शा. महाविद्यालय, परासिया
25.	श्रीमती सुनीता सिंह	-	शा. पी. जी. महा. मुरेना
26.	श्री संदीप कुमार गोहर	-	शा. महाविद्यालय, बहुबाह
27.	श्री विनोद कुमार वर्मा,	-	शा. महाविद्यालय, कुशी [धार]
28.	श्रीमती नंदा चौधरी	-	शा. बी. जी. महा. मह
29.	कु. सुमन प्रभाकर,	-	शा. पी. जी. महा. टीकमगढ़
30.	श्री दिनेशा कनाड़े	-	शा. पी. जी. महा. सैधवा
31.	कु. नीतु प्रिया लचौरिया	-	शा. पी. जी. महा. देबरी
32.	श्री राहुल सिंह	-	शा. महाविद्यालय, आरौन - गुना
33.	श्री सुनील कुमार शिकरबार	-	शा. पी. जी. महा. झाबुआ
34.	श्री ज्ञानसिंह उच्चारिया	-	शा. महा. बालाजी मिहोना - मि
35.	श्री सोबरन सिंह निग्रम	-	शा. महा. मुंगाबली - अशोकनगर
36.	डॉ. आराधना डिकुना	अ. ज. जा.	शा. के. पी. एस. महा. देवास
37.	कु. नमिता बेन्डे	-	शा. होल्कर विज्ञान महा. इंदौर
38.	श्री राजीव कुमार मझारिया	अ. जा.	शा. महा. बीनागंज - गुना
39.	श्री आनंद कुमार सिंह	-	शा. महाविद्यालय, राधोगढ़ - गुना
40.	कु. स्मिता वर्मा	-	शा. महाविद्यालय, देवरी - सागर
41.	श्री कुंदनसिंह सोनगरा	-	शा. महाविद्यालय कन्नौद - देवास
42.	कु. मनीषा शाक्य	-	शा. आदर्श विज्ञान महा. खालिय
43.	कु. मोनिका सान्वाल	-	शा. महाविद्यालय, नेपालनगर
44.	श्री सागर सिंह ठाकुर	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, जावरा - रत्नाम
45.	श्री हरीश कुमार अम्ब,	अ. जा.	शा. पी. जी. महाविद्यालय, गुना
46.	श्री प्रजांत खेल्वंडी	-	शा. महाविद्यालय, मुआ बिछिया
47.	कु. रेखा नागवंशी	-	शा. महाविद्यालय, बहुनगर - उज्जैन
48.	श्री सुनील कुमार दिबाकर	-	शा. महाविद्यालय, उमरिया
49.	श्री डेविड स्वामी अमरोज	अ. ज. जा.	शा. पी. जी. महा. बहुवानी
50.	श्री सुकदेव प्रसाद अहिरबार	अ. जा.	शा. महाविद्यालय निवाड़ी - टीकमगढ़
51.	श्रीमती पुष्पा म्कवाने	-	शा. पी. जी. महाविद्यालय, धार
52.	कु. ललिता गोकल	-	शा. पी. जी. महाविद्यालय, धार
53.	श्री प्रकाश सोलंकी	अ. ज. जा.	शा. पी. जी. महा. शाजापुर
54.	कु. मोना मरकाम	-	शा. विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
55.	श्री संदीप बिक्टर	-	शा. महाविद्यालय, हरदा

[Handwritten signature]

उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर
व्यवस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश -
स्वयं निरस्त माना जावेगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत -
उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोजता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा।

म. प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,


12/10/05
|| बी. एस. बहल ||
उप सचिव,

म. प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2005


क्रमांक एफ। 1030/2003/1/अडुतीस
प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्य मंत्रीजी के निजी सचिव, म. प्र. भोपाल।
2. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के विशेष सहायक, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के अपर सचिव, म. प्र. मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/आरक्षण प्रकोष्ठ, भोपाल।
5. महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुरा भवन, भोपाल।
8. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, राजपत्रित शाखा-5, भोपाल।
9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग..... म. प्र.।
10. संबंधित प्राचार्य, डा. स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय..... म. प्र.।
11. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क कक्ष क्रमांक-424-ए-मंत्रालय, भोपाल।
12. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला-..... म. प्र.।
13. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-..... म. प्र.।
14. समस्त संबंधित उम्मीदवार-श्री/श्रीमती/सुश्री/कु.....
15. विभागीय, एन. आई. सी. प्रभारी की ओर वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
16. आर्डर बुक/कम्प्यूटर कक्ष/गोपनीय कक्ष, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोधित।

नोट:-

1. सहायक प्राध्यापक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा न करने की सूचना दिनांक 20-10-2005 तक अनिवार्य रूप से इस विभाग को सूचित करें।
2. क्रमांक -10 के लिये।
3. क्रमांक-10 एवं 14- रजिस्टर्ड डाक से।


12/10/05
|| बी. एस. बहल ||
उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग

आदेश
====

भोपाल, दिनांक 12 सितंबर, 2005

आदेश सं. 1/38/2003/1/अद्वितीय : मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जमाति के उम्मीदवारों को 2 वर्ष के भीतर भेट या स्लैट या सी. एच. डी. की उपाधि अर्पित करने की शर्त पर दो वर्ष की परिबीधा उपाधि पर स्टाफ प्राध्यापक, रसायन शास्त्र के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में उन्हे नाम के सम्मुख दशाधि गये महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुये पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	नाम	वर्ग	पदस्थापना स्थान
1.	श्री हीरालाल प्रजापति	अ. जा.	शा. महाविद्यालय, तबोधर [रीवा]
2.	शु. लक्ष्मी बरेलिया	-	शा. आदर्श विद्यालय, महा. ग्वालियर
3.	श्रीमती शीला मैथ्यू [टोम्पो]	अ. ज. जा.	शा. विज्ञान महाविद्यालय, जबलपुर
4.	श्रीमती आराधना कनेरिया [बर्मा]	अ. जा.	शा. एम. के. एस. महाविद्यालय, भिंड
5.	श्रीमती प्रतिका भारती [सांख्ये]	-	शा. बालक महा. रावसेन
6.	श्री संतोष अंधोरे	-	शा. महाविद्यालय, महाराजपुर.
7.	श्रीमती रीता बमनेला	-	शा. पी. जी. महा. दमोह
8.	श्री दीना प्रसाद प्रजापति	-	शा. महाविद्यालय, अनुपपुर
9.	श्री अनोज कुमार चट्टार	-	शा. महाविद्यालय, बारासिबनी
10.	श्री दिनेश बौरासी	-	शा. महाविद्यालय, मनासा
11.	श्री देवेन्द्र कुमार कोष्टा	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, जुन्नारदेव
12.	श्री राकेश लाल टैगर	अ. जा.	शा. पी. जी. महा. श्योपुरकला
13.	श्री शिवप्रसाद उच्चौरिया	-	शा. महाविद्यालय, डबरा
14.	श्रीमती ममता शाक्य	-	शा. के. पी. एस. महा. देवास
15.	श्री आत्माराम मालवीय	-	शा. महाविद्यालय, पथरिया
16.	श्री पुण्योत्तमदास शाक्य	-	शा. महाविद्यालय, पिछोर
17.	श्री कोकसिंह दादोरिया	-	शा. पी. जी. महाविद्यालय, दत्तिया.
18.	श्री अशोक बरुआ	-	शा. होल्कर विज्ञान महा. इंदौर
19.	श्री कालुराम कानुडे	-	शा. पी. जी. महाविद्यालय, रत्नाम
20.	श्री मुकेश कुमार जामों	अ. ज. जा.	शा. महाविद्यालय, डिंडोरी

[Signature]

4- यह विद्वान् विद्वान् की ओर से एक बार का निर्दिष्ट अर्थ उनके द्वारा
एक बार का केवल विद्वान् द्वारा स्थापित ही जा सकेगी ।

3- यह का सब भाग केवलान् अर्थ द्वारा विद्वान् की द्वारा पुनर्निर्दिष्ट किया
जा सके है ।

4- अर्थान् विद्वान् अर्थान् की का अर्थान् से जारी होने के विचार से अर्थ
वर्तों के अर्थान् अर्थान् अर्थान् [अर्थान् विद्वान्] के द्वारा ही अर्थान् अर्थान्
अर्थान् [अर्थान् अर्थान् से ही अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्] द्वारा ही अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् ।

1- विद्वान् में अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् के अर्थान् अर्थान् के अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् ।

अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्

[अर्थान् अर्थान्]

अर्थान् अर्थान्

अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्

अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्

10 JUN 1981

द्वारा अर्थान् अर्थान् 1/28 /81/4-1/38

अर्थान् अर्थान् :-

- 1- अर्थान् अर्थान्, अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
- 2- अर्थान्, अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्, अर्थान् अर्थान् [अर्थान् अर्थान्]
- 3- अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
- 4- अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्
- 5- अर्थान्, अर्थान् अर्थान्, अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्, अर्थान् अर्थान्
- 6- अर्थान्, अर्थान् अर्थान् अर्थान्, अर्थान् अर्थान् अर्थान्

[अर्थान् अर्थान्]

अर्थान् अर्थान् अर्थान्

अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्

अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान् अर्थान्

मोषान, दिनांक 15 जून, 1987.

क्रमांक एक 1/28 /87/ए-1/30 - मध्यप्रदेश तदर्थी नियुक्तियों का नियमितकरण
निका, 1986 तथा तानान्य प्रशासन विभाग के द्वारा क्रमांक एक-ए-6-30-86-एन[1]
द्वारा 8097 राजपत्र [असाधारण] में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5/6/86 में प्रदत्त
अधिकारों का उपयोग से हुए तदर्थ स्व से कार्यरत निम्नलिखित स्थायक प्राध्यापक
को स्थानाभ्यन्त स्व से आगामी आदेश तक रसायनशास्त्र विषय के स्थायक
प्राध्यापक पद पर मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय [महाविद्यालयीन शाखा] में ए0 700-40-
1100-50-1300-असेलेन्ट-50-1600 के वेतनमान में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय
में परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है ।

पर्यायी एवं पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	महाविद्यालय जहाँ वर्तमान किया जाता है
<p>नाम श्री सुभाषकुमार शिवेदी आपका श्री सुभाष धर चन्द्रभान</p>	<p>28-2-1962</p>	<p>राजकीय महाविद्यालय, एनोड</p> <p><i>Verified from original doc.</i></p> <p><i>12/10/87</i> PRINCIPAL Govt. Post Graduate College BAMONA (M.P.)</p>

2- उपर्युक्त नियुक्ति उनके चरित्र तत्वापन प्रतिवेदन के स्थापान कारण वरिष्ठ जने
की प्रत्याशा में की जाती है । यदि उनका चरित्र तत्वापन प्रतिवेदन, तत्वापनकारक नहीं
साया गया तो उनकी नियुक्ति बिना पूर्ण सुचना के समाप्त भी ला खेगी ।

3- उपर्युक्त नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति प्रत आदेश की तारीख
से ही नियमित नियुक्ति का पात्र होगा और उसे उन व्यक्तियों के नीचे रखा जाएगा
जो इन नियुक्तियों के अधीन नियुक्त किये जाने के पूर्व सुसंगत मराठी नियुक्तियों के अनुसार/दिनांक
गए हैं ।

94

नाम	पिन	कार्यरत महाविद्यालय	प्राप्ति दिनांक
शु विभा दुबार	1510634	शासकीय एन.एल.डी. जल्ला जलिया महाविद्यालय, काठमांडू	30/09/1999
श्री दीपक कुमार मीना	1510143	शासकीय कल्याण महाविद्यालय, रायसेन	07/10/1999
श्रीमती चेतना श्रीवास्तव	1510124	शासकीय इशामुल्ला महाविद्यालय, मुल्लाना, काठमांडू	01/04/2000
श्री अखिलेश कुमार शर्मा	1510022	श. एस. एल. डी. जल्ला एन. डी. महाविद्यालय, काठमांडू, काठमांडू	23/07/2000
श्रीमती अर्चना सुदेश मेर्यु	1510065	शासकीय विम देवी महाविद्यालय, काठमांडू, काठमांडू	30/11/2000
श्री करुणेश प्रताप मिश्रा	1510247	शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय, सीता	21/10/1999
श्रीमती सुष्मा निगम	1510594	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीता	01/07/2000
श्री लोकेश कुमार प्रसाद	1510285	शासकीय इशाम सुन्दर अग्रवाल महाविद्यालय, सिता, जल्लापुर	28/12/2000
श्रीमती सरिता भारत	1510524	शासकीय कालिदास कल्याण महाविद्यालय, जल्लापुर	21/07/2000
श्री लज्जेन्द्र कुमार मिश्रा	1510402	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, काठमांडू	29/12/2000
श्रीमती प्रतिभा सिंह	1510383	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना	06/02/2001
श्रीमती सुरेखा रेगे	1510582	शासकीय महाविद्यालय, नरसिंहगढ़, राजगढ़	27/04/2000
श्री विष्णु पाल सिंह गौड़	1510643	शासकीय महाविद्यालय, लीडी, उत्तरपुर	22/12/2000
श्री लिमला सिंह अलावा	1510283	शासकीय महाविद्यालय, नैसदेही, बैतुल	08/06/2001
श्रीमती वंदना चौहान	1510622	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगौन	08/06/2001
श्री विद्या शंकर विभूति	1510110	शास. बालकृष्णन शर्मा नवीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शाजापुर	10/05/2000
श्री अनुराग वर्धन पांडेय	1510060	शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर, सतना	15/05/2001
श्रीमती उपमा सिंह	1510610	शासकीय टाकुर रामत सिंह महाविद्यालय, रीवा	21/04/1999
श्री रमेश कुमार भारद्वाज	1510444	शासकीय महाविद्यालय, शोपुरकला	15/07/1999

श्रीमती 10/04/2003

क्रमांक	नाम	पिन	कार्यरत महाविद्यालय
91	श्री रमेश सिंह परिवार	1510442	राजस्थानीय महाविद्यालय अटोर, सिण्ड

विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापकों के वेतन निर्धारण इस आदेश के अनुसार करें, तथा इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव पालन भी सुनिश्चित करें।

(राम मेहनत)
अपर संचालक
कृते जादुक, उच्च शिक्षा
सोपान, टिपण

341/04 अतिरिक्त नं 33

प्रतिलिपि :-

1. मा. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज कार्यालय
2. कलेक्टर, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मन्त्रालय, सोपान के निज कार्यालय
3. निज सचिव, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. महासंचालक, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा।
6. संबंधित प्राचार्य
7. संबंधित जिला कार्यालय अधिकारी।
8. संबंधित सहायक प्राध्यापक
9. संबंधित के मौपनीय फाइल में रखने हेतु।

(डॉ. बी. भारती)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, सोपान

क्रमांक 340/04 आदेश क्र 2/03

// आदेश //

202
2/15

भोपाल, दिनांक 10/04/2003

विषय-राजनीति शास्त्र विषय के सहायक प्राध्यापकों का वरिष्ठ बंणी वतनमान में स्थानन।
संदर्भ-उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 3305/38-1/88 दिनांक 3/8 नवम्बर 88 क्र एम-7/87/ए-1/38 दिनांक 02.03.98
एन-7/ए-8/38 दिनांक 08.04.1999 क्र 326/38-1 दिनांक 17.01.1990 एवं एम-7/1/ए-1/38 दिनांक 10.12.92
शासन के आदेशानुसार राजनीति शास्त्र विषय के निम्नलिखित सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम की सम्बन्ध दक्षित विधि से वरिष्ठ बंणी
रूप में 10000-325-15200 में स्थानन किया जाता है।

क्रमांक	नाम	पिन	कार्यरत महाविद्यालय	प्राप्ति दिनांक
1	श्रीमती लीला डाबर	1510282	शासकीय कन्या महाविद्यालय, धार	30/09/1999
2	श्रीमती शीला आर्य	1510547	शासकीय कन्या महाविद्यालय, मदासी	01/04/2002
3	श्री राम बंद वर्मा	1510437	शासकीय महाविद्यालय जोन्ट, झाबुआ	18/10/1998
4	श्री मधुर प्रसाद रोहणी	1510314	शासकीय तुलसी द्विती महाविद्यालय, अनुग्रह, सहायपुर	11/10/1999
5	श्री सुरेश कुमार बाहड़	1510585	शासकीय आर श्री महाविद्यालय, मनासा, मदासी	18/07/2000
6	श्री नीरज कुमार झा	1510347	शासकीय एम.एल.डी. कला कॉलेज महाविद्यालय, खालियार	07/07/2000
7	श्री रवि रंजन	1510456	शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खालियार	01/04/2001
8	श्री मुकेश कुमार	1510327	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह	27/08/1999
9	श्री हर्षा चंचाने	1510198	शासकीय महाविद्यालय, हरई, छिदवाड़	19/11/1999
10	श्री अमर कुमार नायक	1510031	शासकीय महाविद्यालय, उमरिया	24/12/1999
11	श्री इंदुपाल सिंह	1510205	शासकीय महाविद्यालय, आष्टा, सीहोर	08/06/2001
12	श्री देवी सिंह यादव	1510148	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टोकमगढ़	01/04/2000
13	श्रीमती बंदना मिश्रा	1510624	शासकीय महाविद्यालय, देवसर, सोधी	28/12/1999
14	श्रीमती विद्या कुमारी चौधरी	1510635	शासकीय कन्या महाविद्यालय, बैतूल	27/07/1998

क्र.म (10/04) 2003

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बेनजीर
गोखले छात्रावास भवन, जहाँगीराबाद भोपाल

क्रमांक 1302 A/2015

दिनांक 22/08/2015

प्रति,

Vibha Shrivastava


D-30 Siddharth lake

City Anand Nagar BHOPAL


विषय:- अस्थायी आमंत्रण पत्र।


दिनांक 30/06/2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों के गुणानुक्रम के अनुसार आपको महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग (स्ववित्तीय पाठ्यक्रम) में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 24/8/15 से अतिथि विद्वान के रूप में आमंत्रण दिया जाता है। आपकी यह सेवाएँ पूर्णतः अस्थायी हैं, कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। अध्यापन के साथ प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए समस्त कार्य सम्पादित करना होंगे एवं सेमेस्टर परीक्षा के दौरान आपकी सेवा सतत नहीं रहेगी।

संबंधित विभागाध्यक्ष इनकी उपस्थिति एवं शैक्षणिक दैनंदिनी इत्यादि का संधारण करेंगे।


(डॉ. मुकेश दीक्षित)

प्रभारी / सचिव
जनभागीदारी समिति


22/8/15
(डॉ. अनंद कुमार)
Govt. Sc. & Comm. College
Bhopal
प्राचार्य / सचिव
जनभागीदारी समिति

Received


प्रमाण
कवच 15

कार्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वि. प्रे. कॉलेज
महा भोपाल दिनांक 31/12/2020

क्रमांक 1250
प्रति,

नाम डॉ. सुष्मा त्रिपाठी
पिता/पति श्री प्रकाश लाल त्रिपाठी
पता लक्ष्मी चौराहा पी. डब्ल्यू. डी. रोड सीहोर

विषय:- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2020-21 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक।
संदर्भ:- आपका आवेदन क्रमांक दिनांक 04/09/2020

--00--

विषयान्तर्गत एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको शासकीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वि. प्रे. कॉ. महाविद्यालय में ~~अतिथि विद्वान~~ विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वानों का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कंडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 अर्थात् 30 जून, 2021 के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अध्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 04/09/2020 महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019 में धर्णिता नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

Shubra
PRINCIPAL
Govt. Dr. Shyamaprasad Mukherjee
Science & Commerce P.G. College
BHOPAL
दिनांक 31/12/2020

पू. क्रमांक 1241
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा नर्मदापुरम भाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

31/12/2020
Rajiv

Shubra
PRINCIPAL
Govt. Dr. Shyamaprasad Mukherjee
Science & Commerce P.G. College
BHOPAL

काम्यालय सचिव, जनभागीदारी समिति

महाविद्यालय श्री. डी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

क्रमांक 63
प्रति,

दिनांक 11.01.2022

महाविद्यालय - भोपाल

नाम डॉ. प्रीति श्रीवास्तव

पिता/पति श्री विशाल श्रीवास्तव

पता I-1, Fortune Divine City, Misrod
Near, Naval Hospital, Bhopal.

विषय- अतिथि विद्वान आमंत्रण 2021-22 के संबंध में आमंत्रण पत्र विषयक।

संदर्भ-आपका आवेदन क्रमांक दिनांक 11.01.2022

-00-

विषयान्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आपको शासकीय महाविद्यालय में ~~अतिथि~~ विषय हेतु अतिथि विद्वान आमंत्रण के रूप में आमंत्रित करने हेतु सहमति हुई है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेस आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचाय द्वारा कार्यभार में वृद्धि भी की जा सकती है।
2. अतिथि विद्वानों का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कडिका 5.1 अनुसार होगा।
3. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 अर्थात् 30 जून, 2022 के लिए सीमित होगा।
4. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
6. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्र एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय में दिनांक 11.01.2022 महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जायेगा।
8. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
9. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनांक 17-12-2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
10. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

श्री. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

PRINCIPAL
सचिव
Govt. Dr. Shyama Prasad Mukherjee
Science & Commerce P.G. College
BHOPAL
दिनांक 11.01.2022

पृ. क्रमांक 64
प्रतिलिपि-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, भोपाल - 411444 समाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. कार्यालयीन प्रति।

Received
LIT Lmt.

I-1/602
Mob. No - 9009655524
Pritisrivastava74@gmail.com

PRINCIPAL
सचिव
Govt. Dr. Shyama Prasad Mukherjee
Science & Commerce P.G. College
BHOPAL

Scanned with CamScanner

Name श्रीवास्तव प्रीति
Address 31/4
Signature [Signature]

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE ME
BY THE WITHIN NAMED

10/01/2022